uxj iapk;r uxjksVk cxoka] ftyk dkaxM+k fgekpy izns'k ds ys[kksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 4@2007 ls 3@2009

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu %&

अवधि 9/73 से मार्च 2007 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के सटिप्पण उत्तरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान मौके पर जाँच पड़ताल की गई। जाँच पड़ताल के उपरान्त यह पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनेकों पैरे ऐसे हैं जो कि वसूलियों से सम्बन्धित हैं जिनके समाधान हेतु अविलम्ब वांछित कार्यवाही करना आवश्यक है। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की वर्तमान अंकेक्षण के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

vads{k.k izfrosnu vof/k 9@73 ls 3@76 rd

1	पैरा 2(डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(वी)	अनिर्णीत
6	पैरा 12(वी)	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 14(वी)	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
12	पैरा 16(वी)	अनिर्णीत

13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18(ए)	अनिर्णीत
15	पैरा 18(वी)	अनिर्णीत
16	पैरा 19(ए)	अनिर्णीत
17	पैरा 19(वी)	अनिर्णीत
18	पैरा 19(सी)	अनिर्णीत
19	पैरा 20	अनिर्णीत
20	पैरा 21(वी)	अनिर्णीत
21	पैरा 23	अनिर्णीत
22	पैरा 24(ए से जी)	अनिर्णीत
23	पैरा 25	अनिर्णीत
24	पैरा 26	अनिर्णीत
25	पैरा 27	अनिर्णीत
26	पैरा 28	अनिर्णीत
27	पैरा 29	अनिर्णीत
28	पैरा 30	अनिर्णीत
29	पैरा 31(I व II)	अनिर्णीत
30	पैरा 32(ए, वी, सी)	अनिर्णीत
31	पैरा 32(जी)	अनिर्णीत

vdk{k.k ifrosnu vof/k 4@76 ls 3@78 rd

1	पैरा 6(1)व(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत

4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 18(1)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 19(1)(2)(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 20	अनिर्णीत
8	पैरा 21(3)	अनिर्णीत
9	पैरा 21(बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 21(सी)	अनिर्णीत
11	पैरा 21(ई)	अनिर्णीत
12	पैरा 21(एफ)	अनिर्णीत
13	पैरा 21(जी)	अनिर्णीत
14	पैरा 22(1)(3)(4)	अनिर्णीत
15	पैरा 23	अनिर्णीत
16	पैरा 24	अनिर्णीत

vdk{k.k ifronu vof/k 4@78 ls 3@81 rd

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(5)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(3) व (4)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(4) से (7)	अनिर्णीत
9	पैरा 16(1) से (4)	अनिर्णीत

10	पैरा 17	अनिर्णीत
11	पैरा 18	अनिर्णीत
12	पैरा 21	अनिर्णीत

vkd{k.k izfrosnu vof/k 4@81 ls 3@83 rd

1	पैरा 5(डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(वी)	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14(ए) व (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 15(ए) व (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 18(ए) व (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा 19(ए) व (बी)	अनिर्णीत
14	पैरा 20	अनिर्णीत
15	पैरा 21(ए) व (बी)	अनिर्णीत
16	पैरा 22	अनिर्णीत
17	पैरा 24	अनिर्णीत

vkd{k.k izfrosnu vof/k 4@83 ls 3@87 rd

1	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत

2	पैरा 6(बी)(सी)(डी)	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16	अनिर्णीत
10	पैरा 17	अनिर्णीत
11	पैरा 18	अनिर्णीत
12	पैरा 20	अनिर्णीत
13	पैरा 21	अनिर्णीत
14	पैरा 22	अनिर्णीत
15	पैरा 23	अनिर्णीत
16	पैरा 24	अनिर्णीत
17	पैरा 25	अनिर्णीत
18	पैरा 26	अनिर्णीत
19	पैरा 28	अनिर्णीत
20	पैरा 30(1)(3)से(5)(7)से(9)	अनिर्णीत
21	पैरा 31(1) व (2)	अनिर्णीत

,rjkt lfp;k %&

1	अवधि 9/73 से 3/76 पैरा 1 से 17	अनिर्णीत
2	अवधि 4/76 से 3/78 पैरा 5 से 29	अनिर्णीत

3	अवधि 4/78 से 3/81 पैरा 1 से 5	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@87 l 3@90 rd

1	पैरा 4(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 13(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 13(4)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(7)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(9)(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(9)(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(10)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(3)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(11)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(22)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(23)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(10)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(11)	अनिर्णीत
17	पैरा 15(13)	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@90 l 3@95 rd

1	पैरा 4(1)(2)व(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत

4	पैरा 10(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15(1) सात मदें	अनिर्णीत
8	पैरा 15(8) 3 से 11	अनिर्णीत
9	पैरा 15(9)	अनिर्णीत
10	पैरा 15(11)	अनिर्णीत
11	पैरा 15(15)	अनिर्णीत
12	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
13	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 17(2)(1,2,4,5,6)	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
17	पैरा 21(2)	अनिर्णीत
18	पैरा 21(5)	अनिर्णीत
19	पैरा 21(6)	अनिर्णीत
20	पैरा 21(7)	अनिर्णीत
21	पैरा 21(9)	अनिर्णीत

vd{k.k ifrounu vof/k 4@95 l 3@03 rd

1	पैरा 4(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(4)	अनिर्णीत

5 पैरा 4(5) अनिर्णीत

6 पैरा 6(1) अनिर्णीत

7 पैरा 6(2) अनिर्णीत

8 पैरा 6(3) अनिर्णीत

9 पैरा 7 अनिर्णीत

10 पैरा 8 निर्णीत (राशि ₹22,204.00 की निम्नलिखित जी–8 रसीद एवं रोकड़ बही की प्रविष्टि द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा हो गई है) :–

Ø0 l0	jlhn l[;k	jksdM+ cgh i`f"V@i0	jkf'k
1	46–50 / 110, 1–5 / 111, 7.8.03	8 / 17, 8.8.03	622
2	16–29 / 111, 11.8.03	12 / 19, 12.8.03	573
3	30–37 / 111, 12.8.03	13 / 21, 13.8.03	450
4	39–41, 44–46 / 111, 13.8.03	14 / 21, 14.8.03	1225
5	50 / 111, 14.8.03	15 / 21, 15.8.03	6000
6	16–17 / 112, 25.8.03	26 / 29, 26.8.03	33
7	28 / 112, 28.8.03	29 / 33, 29.8.03	15
8	40–42 / 112, 30.8.03	31 / 35, 31.8.03	35
9	2 / 113, 3.9.03	4 / 41, 4.9.03	100
10	9–17 / 113, 4.9.03	5 / 43, 5.9.03	1724
11	18–33 / 113, 4.9.03	5 / 43, 5.9.03	5291
12	35 / 113, 6.9.03	7 / 43, 7.9.03	1711

13	39–43,45／113, 8.9.03	9／45, 9.9.03	146
14	14／114, 10.9.03	11／47, 11.9.03	2779
15	21／114, 12.9.03	13／47, 13.9.03	1500
		d|y jkf'k	22]204

vr% i|j dk fuiVkjk fd;k x;kA

11	पैरा 9	कुल वसूली योग्य राशि	9,867.00
		4／03 से 3／07 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार वसूली	6,511.00
		'k"k cdk;k o|y|h	3]356-00
		पैरे के क्र0सं0 6, श्री लाल चन्द, चौकिदार से वसूली राशि जी–8 रसीद संख्या 49／239, 20.8.07 रोकड़ बही की प्रविष्टि／पृष्ठ संख्या 21／34, 21.8.07	700.00
		'k"k o|y|h ;kX; jkf'k	2]656-00

vr% i|j dk vkf'kd fuiVkjk fd;k x;kA

12	पैरा 11	अनिर्णीत
13	पैरा 12	अनिर्णीत
14	पैरा 13	अनिर्णीत
15	पैरा 14	अनिर्णीत
16	पैरा 15	अनिर्णीत
17	पैरा 16	पैरे मे वर्णित कुल वसूली योग्य राशि = 2,280.00

<u>o|y|h jkf'k</u> %&

(1) जी–8, 30／18, 29.3.2010, रोकड़ बही 30／46, 30.3.2010, 1080

		(2) जी–8, 31 / 18, 29.3.2010, रोकड़ बही 30 / 46, 30.3.2010, 400 पैरे के क्र0सं0 7 में श्री कमल मल्होत्रा से जिनका 11 दिन का ठहराव 10.10.97 से 20.10.97 बताया गया है इसके सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी ने सटिप्पण उत्तर में लिखा है कि इसकी विभाग द्वारा विस्तृत जाँच करने पर पाया कि श्री कमल मल्होत्रा 18.10.97 से 20.10.97 तक विश्राम ग्रह में ठहरे थे। लेकिन दिनांक में कटिंग के कारण इसे 10.10.97 पढा जा रहा था। अतः पैरे की जाँच करने पर पाया गया कि इस ठहराव की क्र0सं0 से पहले की क्र0सं0 की दिनांक 10.10.97 के पश्चात एवं 18.10.97 से पहले की थी। अतः पैरे का निपटारा किया गया।
18	पैरा 17	अनिर्णीत
19	पैरा 18	अनिर्णीत
20	पैरा 20	अनिर्णीत
21	पैरा 21	अनिर्णीत
22	पैरा 22	बिल संख्या 109, दिनांक 1.3.99 मैं0 सरूप फिनाईल घुरकढ़ी को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित करके 160 लीटर फिनाईल का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर 85–86 के पृष्ठ संख्या 62 में दर्ज करके इसका विभिन्न तिथियों में सफाई कर्मचारी से प्राप्ति कर उपयोग किया गया है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया।
23	पैरा 23	अनिर्णीत
24	पैरा 24	अनिर्णीत
25	पैरा 25	अनिर्णीत
26	पैरा 26	अनिर्णीत
27	पैरा 27	अनिर्णीत
28	पैरा 28	अनिर्णीत
29	पैरा 29	अनिर्णीत

30	पैरा 30	अनिर्णीत
31	पैरा 31	अनिर्णीत
32	पैरा 32	अनिर्णीत
33	पैरा 33	अनिर्णीत
34	पैरा 34	अनिर्णीत
35	पैरा 35	अनिर्णीत
36	पैरा 37	अनिर्णीत

vid{k.k ifronu vof/k 4@03 l 3@07 rd

1	पैरा 1	अंकेक्षण फीस राशि ₹1,160.00 की चालान संख्या 00024, दिनांक 30.3.10 द्वारा जमा करवा दी हैं अतः पैरे का निपटारा किया गया।
2	पैरा 2(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 2(बी)(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 2(बी)(ii)	बैंक के खाता संख्या LB-I, KCCB नगरोटा बगवां में दिनांक 24.11.04 को ₹2,470.00 ही जमा करवाए थे रोकड़ बही में गलती से ₹2,770 दर्ज कर दिए थे। अतः अब रोकड़ बही की प्रविष्टि के आगे नोट दे दिया कि रोकड़ बही का पास बुक के साथ मिलान के समय इसका समायोजन कर देंगे। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया।
5	पैरा 2(बी)(iii)	अनिर्णीत
6	पैरा 2(बी)(iv)	अनिर्णीत
7	पैरा 3	अनिर्णीत
8	पैरा 3(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(i)	अनिर्णीत

10	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(iv)(a)	अनिर्णीत
14	पैरा 4(iv)(b)	अनिर्णीत
15	पैरा 4(v)	अनिर्णीत
16	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत
17	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत
18	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत
19	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत
20	पैरा 4(x)	अनिर्णीत
21	पैरा 4(xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 5	अनिर्णीत
23	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
24	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
25	पैरा 5(iii)	राशि ₹738.00 की विभिन्न दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से रसीद संख्या जी–8, 24/38, दिनांक 7.8.07 द्वारा एकत्रित करके रोकड़ बही की प्रविष्टि 8 पृष्ठ 27 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा की गई है। अतः पैरे का निपटारा किया गया।
26	पैरा 5(iv)	राशि ₹306 की रसीद संख्या जी–8, 8/19, दिनांक 7.4.10 द्वारा एकत्रित करके रोकड़ बही की प्रविष्टि 8 पृष्ठ 2, दिनांक 8.4.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा की गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।

27	पैरा 5(v)	राशि ₹100.00 की राशि रसीद संख्या 17/18 दिनांक 25.03.10 द्वारा रोकड़ वही की प्रविष्टि 26 पृष्ठ 44 दिनांक 26.3.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा की गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
28	पैरा 5(vi)	राशि ₹20.00 की रसीद संख्या 29/238, दिनांक 8.8.07 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 9 पृष्ठ 29 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा हो गए। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
29	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत
30	पैरा 5(viii)(a)	राशि ₹551.00 की रसीद संख्या 28/238 दिनांक 8.8.07 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 9 पृष्ठ 29, दिनांक 9.8.07 द्वारा नगर पंचायत के खाते मे जमा हो गए। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
31	पैरा 5(viii)(b)	राशि ₹616.00 की रसीद संख्या 27/238, दिनांक 8.8.07 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 9 पृष्ठ 29, दिनांक 9.8.07 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा किए गए। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
32	पैरा 5(ix)	अनिर्णीत
33	पैरा 5(x)	राशि ₹390.00 की रसीद संख्या 21,22,23/18, दिनांक 26.3.10 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 27 पृष्ठ 46, दिनांक 27.3.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा हो गए। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
34	पैरा 5(xi)	राशि ₹612.00 की रसीद संख्या 27/18, दिनांक 29.3.10 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 30 पृष्ठ 46, दिनांक 30.3.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा हो गए। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।

35	पैरा 5(xii)	राशि ₹864.00 की रसीद संख्या 9/19, दिनांक 7.4.10 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 8 पृष्ठ 2, दिनांक 8.4.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा हो गए। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
36	पैरा 5(xiii)	अनिर्णीत
37	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 6(ii)	राशि ₹60.00 की रसीद संख्या 33/18, दिनांक 30.3.10 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 31 पृष्ठ 48, दिनांक 31.3.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा हो गए। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
39	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
40	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(v)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(vi)(a)	अनिर्णीत
43	पैरा 6(vi)(b)	अनिर्णीत
44	पैरा 6(vii)	अनिर्णीत
45	पैरा 6(viii)	अनिर्णीत
46	पैरा 6(ix)	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ'' में दर्षाए भण्डार रजिस्टरों में जारी सामान के विरूद्ध पावतियां देख ली। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
47	पैरा 6(x)	अनिर्णीत
48	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
49	पैरा 7(i)	अनिर्णीत

50	पैरा 7(i)(a)	राशि ₹263.00 की रसीद संख्या 49/18, दिनांक 3.4.10 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 5 पृष्ठ 1, दिनांक 5.4.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा की गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
51	पैरा 7(i)(b)	अनिर्णीत
52	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
53	पैरा 7(ii)(a)	राशि ₹17.00 की रसीद संख्या 48/18, दिनांक 3.4.10 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 5 पृष्ठ 1, दिनांक 5.4.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा की गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
54	पैरा 7(ii)(b)	अनिर्णीत
55	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
56	पैरा 7(iv)(a)	अनिर्णीत
57	पैरा 7(iv)(b)	अनिर्णीत
58	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
59	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत
60	पैरा 7(vii)	राशि ₹386.00 की रसीद संख्या 46,47/18, दिनांक 3.4.10 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 5 पृष्ठ 1, द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा की गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
61	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत
62	पैरा 7(viii)(a)	अनिर्णीत
63	पैरा 7(viii)(b)	अनिर्णीत
64	पैरा 7(viii)(c)	अनिर्णीत

65	पैरा 7(ix)	राशि ₹810.00 की रसीद संख्या 24/18, दिनांक 26.3.10 द्वारा रोकड़ बही की प्रविष्टि 27 पृष्ठ 46, दिनांक 27.3.10 द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा की गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
66	पैरा 7(x)	अनिर्णीत
67	पैरा 8	अनिर्णीत
68	पैरा 9(i)	राशि ₹7,000.00 श्री अनिल कुमार को गाड़ी संख्या एच0पी0–40–7770 की रिपेयर के लिए दिया था इससे सम्बन्धित निविदाएं इत्यादि देखकर व नगद प्रपत्र संख्या 20, दिनांक 15.11.06 में भागसू मोटर गैरज राशि 7100 इत्यादि जमा करके समायोजित कर दिया है। एवं पुराने सामान का इन्द्राज रिपेयर रजिस्टर की प्रविष्टि 1 पृष्ठ 124 में कर दिया है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
69	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
70	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
71	पैरा 10(ii)	अनिर्णीत
72	पैरा 10(iii)	अनिर्णीत
73	पैरा 11	अनिर्णीत

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर पंचायत नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 4/07 से 3/09 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों/पैरों मे समाविष्ट किए गए हैं, श्री संदीप कमल, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25.02.2010 से दिनांक 07.04.10 तक नगर पंचायत नगरोटा बगवां में किया गया। अवधि 4/07 से 3/09 तक के अंकेक्षण के लिए विस्तृत जाँच पड़ताल हेतु वर्ष 2007–2008 में आय के लिए 3/08 एवं व्यय के लिए 11/07 को एवं वर्ष 2008–2009 में आय के लिए 12/08 एवं व्यय के लिए 3/09 का चयन किया गया।

3 foÙkh; fLFkfr %&

नगर पंचायत नगरोटा बगवां के लेखों की वित्तीय स्थिति वर्ष 2007–2008 एवं 2008–2009 की निम्न प्रकार थी :–

		2007&2008	2008&2009
1	प्रारम्भिक शेष	7,25,442.28	13,37,510.28
2	वर्ष में कुल आय	87,68,352.00	71,17,913.00
3	कुल योग	94,93,794.28	84,55,423.28
4	वर्ष में कुल व्यय	81,56,284.00	72,91,378.00
5	अन्तिम शेष	13,37,510.28	11,64,045.28

fnukd 31-3-2009 dk cdk e tek jkf'k;k dk fooj.k %&

Ø0 l0	cd dk uke o [kkrk l[;k	fnukd 31-3-09 dk tek jkf'k] ifjf'k"V ^[k**
1	एस0बी0आई0 बैंक 01100050067	9,378.06
2	एस0बी0आई0 बैंक 01100050045	32,947.34
3	पी0एन0बी0 बैंक 0802000100016514	15,12,144.05
4	पी0एन0बी0 बैंक 0802000100145072	13,087.00
5	के0सी0सी0बी0 बैंक 12419	79,705.00
6	के0सी0सी0बी0 बैंक LB-II	15,230.00
7	के0सी0सी0बी0 बैंक 52/LB-I	10,045.00
8	के0सी0सी0बी0 बैंक LB-I	17,756.00
9	एस0बी0पी0 बैंक 55101444376	2,676.11
10	एस0बी0पी0 बैंक 55101444387	949.16

11	एस0बी0पी0 बैंक 55101444514	1,89,909.41
12	एस0बी0पी0 बैंक 55101444489	9,762.09
13	एस0बी0पी0 बैंक 55124114045	15,594.79
14	ट्रेजरी खाता कांगड़ा	2,337.00
	dqy ;ksx	19]11]521-01

jksdM cgh rFkk cSad esa tek jkf'k;ksa esa vUrj ¾ 7]47]475-73

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि रोकड़ बही का बैंक से मिलान नहीं किया गया जबकि यह प्रत्येक मास के अन्त में किया जाना अपेक्षित था इससे पूर्व भी गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी मिलान न करने की आपत्ति उठाई गई थी लेकिन इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी है तथा नगर पंचायत के आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि रोकड़ बही का मिलान करने पर ही वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता लगया जा सकता है।

fuos'k %& दिनांक 31.3.2009 तक नगर पंचायत नगरोटा बगवां द्वारा कोई भी राशि किसी भी रूप में निवेशित नहीं की गई थी।

4 vads{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत के लेखों अवधि 4/07 से 3/09 का अंकेक्षण शुल्क ₹14,500.00 (चौदह हजार पांच सौ रुपये मात्र) बना जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' में दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाने के लिए कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अपने पत्र संख्या एल0ए0डी/डी0एच0आर/2010/19, दिनांक 7.4.2010, से नगर पंचायत नगरोटा बगवां के कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना करते हुए कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹14,500.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या 902145, दिनांक 12.4.2010 शाखा पंजाब नैशनल बैंक, नगरोटा बगवां बनाकर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 हिमाचल प्रदेश को पंजीकृत पत्र संख्या 727974591, दिनांक 16.4.2010 द्वारा प्रेषित कर दिया है।

5 vfxze /ku jkf'k;ksa ds lek;kstu ckjs %&

नगर पंचायत नगरोटा बगवां द्वारा अंकेक्षण अवधि 2007–2008 एवं 2008–2009 के दौरान कोई भी अग्रिम धन राशि नगर पंचायत के खातों से नहीं निकाली गई।

6 vuqnku %&

¼i½ ljdkjh vuqnkuksa ds mi;ksfxrk iek.k i= u fn[kkus ckjs %&

नगर पंचायत द्वारा 4/07 से 3/09 तक की अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाए गए। अतः इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को भेजकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	Qf.Mx ,tsUlh	fnukad	jkf'k
1	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग (हिमाचल प्रदेश)	14.4.07	9,71,300.00
2	निदेशक, शहरी विकास	19.4.07	6,55,583.00
3	जिलाधीष कांगड़ा	17.5.07	2,25,000.00
4	जिलाधीष कांगड़ा	23.9.07	1,00,000.00
5	जिलाधीष कांगड़ा	7.11.07	1,00,000.00
6	जिलाधीष कांगड़ा	8.1.08	1,00,000.00
7	जिलाधीष कांगड़ा	19.01.08	13,00,000.00
8	निदेशक, शहरी विकास	05.04.08	2,00,000.00
9	निदेशक, शहरी विकास	29.07.08	19,67,702.00
10	निदेशक, शहरी विकास	13.12.08	19,67,702.00
11	जिलाधीष कांगड़ा	21.02.09	1,00,000.00
12	जिलाधीष कांगड़ा	03.03.09	1,00,000.00
13	जिलाधीष कांगड़ा	03.03.09	2,50,000.00
14	जिलाधीष कांगड़ा	13.03.09	2,00,000.00

¼ii½ o"kZ 2008&2009 esa vkcdkjh ,oa djk/kku foHkkx ls fu;fer vuqnku dk u vkuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से नियमित अनुदान की राशि हर वर्ष प्राप्त की जाती है जो कि वर्ष 2008–2009 में नगर पंचायत नगरोटा

बगवां को प्राप्त नहीं हुई है अतः इस अनुदान की राशि को सम्बन्धित विभाग से शीघ्र प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 ¼i½ fdjk;k %&

uxj ipk;r d Hkouk] n|dkuk o fdjk;@iê ij fn, x, vU; ifjljk d fdjk, d :i e fnukd 31-3-09 rd ₹18]48]450-00 dh olfy;k u djuk %&

नगर पंचायत नगरोटा बगवां द्वारा अपनी आय के साधनों को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में लगभग 154 दुकानों का निर्माण किया गया। इन दुकानों के किराए की मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया कि दिनांक 31.3.2009 तक कुल ₹18,48,450.00 की राशि दुकानों की किराए के रूप में बकाया थी लेकिन इसकी वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच0ए0(7)–1/87–9237, 9284, दिनांक 20.6.2001 के द्वारा करों आदि की शत प्रतिषत वसूली को सुनिष्चित करने के लिए कहा गया था लेकिन इसके सम्बन्ध में सचिव, नगर पंचायत नगरोटा बगवां ने कोई कदम नहीं उठाए। अतः इस राशि को वसूल करके शीघ्र अनुपालना को अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए। लेखा परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि 31 मार्च, 2009 तक किराए के रूप में ₹18,48,450.00 की राशि वसूली योग्य शेष थी। वसूली योग्य कुल राशि में से ₹1,20,940.00 की राशि केवल 36 दुकानदारों से प्राप्त करना शेष थी जिनके पास ₹20,050.00 से लेकर 74,480.00 तक वसूली हेतु राशियां गत कई वर्षों से शेष पड़ी थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	n|dkunkj dk uke	n|dku l[;k	31-3-09 dk 'k"k jkf'k
1	श्री अनिल कुमार	3	54,220.00
2	श्री शिव चरण चौधरी	4	57,730.00
3	श्री मोहिन्द्र कुमार	19	21,185.00
4	श्री देश राज	22	23,500.00
5	श्री प्रेम चन्द	29	34,300.00
6	श्री हरीश कुमार	50	32,660.00
7	श्री अशोक कुमार	54	33,920.00

8	श्री प्रकाश चन्द	78	20,050.00
9	श्री विपन कुमार	80	22,900.00
10	श्री प्रवीण कुमार	81	63,950.00
11	श्री सुरेश कुमार	85	37,500.00
12	श्री चन्द्र शेखर		74,480.00
13	श्री मदन कौंडल	90	20,500.00
14	श्री ललित शर्मा	92	28,400.00
15	श्रीमति तमन्ना कौषल	96	30,000.00
16	श्री शेखर कुमार	97	23,100.00
17	श्री सुनील कुमार	99	23,500.00
18	श्री राजेश कुमार	100	21,500.00
19	श्री राजीव कुमार	101	40,000.00
20	श्री अनिल कुमार	102	40,000.00
21	श्री चन्दू लाल	106	39,000.00
22	श्रीमति रीता देवी	107	26,000.00
23	श्री जन्म सिंह पठानिया	108	40,000.00
24	श्री अरविन्द कुमार	112	21,000.00
25	श्री राजीव कुमार	113	31,000.00
26	श्री अजय कुमार	114	20,060.00
27	श्री प्रदीप कुमार	115	29,000.00
28	श्री अषोक कुमार	116	21,500.00
29	श्री रणवीर सिंह	119	21,870.00
30	श्री आशा सिंह	124	27,500.00
31	श्री सोनू कुमार	125	27,500.00

32	श्री मंजीत सिंह	129	20,115.00
33	श्री प्रीतम चन्द	134	24,000.00
34	श्री अरविन्द कुमार	135	24,000.00
35	श्री विनय कुमार	136	24,000.00
36	श्री प्रषांत कुमार	142	21,000.00
	d|y ;kx		₹11]20]940-00

अतः समस्त बकाया किराए की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ iêk vof/k dk uohuhdj.k u djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत की दुकानों को किराए में देने के लिए जो अनुबन्ध किए थे उनकी अवधि काफी वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी थी लेकिन इनके नये अनुबन्ध या नवीनीकरण अंकेक्षण तक नहीं किया गया जिसके कारण से किराएदारों से किराए की पूर्व राशि की वसूली नहीं की गई जिससे नगर पंचायत को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ी। अतः नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवष्यक है कि सभी दुकानों का किराया बढ़ाकर नये अनुबन्ध किए जाएं तथा समस्त अनुबन्धों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में क्रम बद्ध तरीके से रखा जाए। इसकी अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 xgdj %&

¼i½ xgdj dk fu/kkj.k fu;ekuqlkj u djuk %&

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि गृहकर का निर्धारण हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 65 व 2 की उपधारा (1) की Clause (C) के अनुसार नहीं किया गया। इसके निर्धारण में नगर पंचायत द्वारा आवास का वार्षिक मूल्य गृहकर दाता द्वारा स्वयं मकान के घोषित मूल्य के आधार पर आंकी गई जबकि इसका मूल्य नगर पंचायत के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित करना अपेक्षित था तथा इस निर्धारित लागत के अनुसार ही गृहकर की गणना की जानी अपेक्षित थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 3/07 तक के पैरा 4(iv) में भी इस बारे उचित कार्रवाई हेतु आपत्ति उठाई गई थी लेकिन खेद हैं कि नगर पंचायत के अधिकारियों ने इस पर कोई भी कार्यवाही की। अतः गृहकर का निर्धारण नगर पंचायत के किसी सक्षम अधिकारी

द्वारा निर्धारित वार्षिक मूल्य पर लगाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ jkf'k ₹7]03]704-00 dh cdk;k x`gdj dh olwyh u djus ckjs ½&

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहां की जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर पंचायत को अभी ₹7,03,704 की राशि गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट ''ङ'' में दिया गया है जो कि एक गम्भीर वित्तीय मामला है। अतः इसे शीघ्र वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

¼iii½ x`gdj nkrk ftUgksus ,d ckj Hkh dj dk Hkqxrku uxj iapk;r dks ugha fd;k½&

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर पंचायत के विभिन्न बार्डों में 288 ऐसे गृहकर दाता हैं जिन्होंने एक बार भी गृहकर की अदायगी नगर पंचायत को नहीं की और इससे बकाया राशि ₹3,09,949.00 बनती है। ऐसे करदाताओं से गृहकर की राशि को प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः इन करदाताओं को हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 86(2) के अनुसार मांग नोटिस भेजकर एवं आवश्यक कार्रवाई करके गृहकर की वसूली करके अंकेक्षण को इससे अवगत करवाया जाए ऐसे करदाताओं को ब्यौरा इस प्रकार है :–

Ø0 l0	okMZ la[;k	ckdh djnkrk ¼Defaultur½	cdk;k jkf'k ifjf'k"V ^^p**
1	वार्ड नम्बर 1	24	37,650.00
2	वार्ड नम्बर 2	41	31,000.00
3	वार्ड नम्बर 3	39	30,810.00
4	वार्ड नम्बर 4	41	65,340.00
5	वार्ड नम्बर 5	62	49,014.00
6	वार्ड नम्बर 6	28	20,190.00
7	वार्ड नम्बर 7	23	24,945.00
8	Main Market Shop	30	51,000.00
	dqy la[;k	288	₹3]09]949-00

¼iv½ o"k 2003 d i'pkr uo fufer Hkouk ij x'gdj dh olyh u dju ckj ½&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2003 से 31 दिसम्बर, 2008 तक कुल 201 नक्शे पास किए गए लेकिन इन मकानों पर आज तक गृहकर नहीं लगाया गया जिससे नगर पंचायत को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि हो रहीं है। अतः इन मकानों की निर्धारित वार्षिक मूल्य पर प्रचलित दर से गृहकर लगाया जाना सुनिश्चित करें एवं कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

¼v½ jkf'k ₹26]160-00 x'gdj dh ekx] ekx ,o olyh jftLVj e ntl u dju ckj ½&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित मकानों को बिना किसी कारण के एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से मांग एंव वसूली रजिस्टर में काटा गया तथा इनसे गृहकर की मांग भी नहीं की गई। अतः इसका कारण स्पष्ट किया जाए व गृहकर की नियमों के अनुसार वसूली की जाए। इन मकान मालिकों से गृहकर के रूप में ₹26,160.00 की राशि बकाया बनती थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	x'gdj nkrk dk uke	x'g uEcj	cdk;k x'gdj	vof/k ¼o"k½	okM l[;k
1	श्रीमति गुलाबो देवी	16	300	6	6
2	श्री अजय कुमार	28	360	6	6
3	श्रीमति सरला बस्सी	76	1040	6	6
4	श्री किरपा राम	146	300	6	6
5	श्री विकास	20	300	6	7
6	श्री सुरेन्द्र कुमार	83	1740	6	7
7	श्री अषोक मैहता	89	300	6	7
8	श्रीमति शांति देवी	115	300	6	7
9	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	126	2280	6	7
10	श्री राम स्वरूप	109	300	6	2

11	श्रीमति मनोरमा देवी	52	1260	6	3
12	श्री मंगल चौधरी	53	5850	5	3
13	श्रीमति उमा देवी	54	780	6	3
14	श्री विषन दास	55	1170	6	3
15	श्री किशोरी लाल	56	1680	6	3
16	श्री ओम प्रकाश शर्मा	57	600	6	3
17	श्री चन्दू लाल	58	1560	6	3
18	श्री सुदेश कुमारी	59	300	6	3
19	श्री कृष्ण चन्द	60	900	6	3
20	श्री अनिल शर्मा	61	1680	6	3
21	श्री रवि मैहरा	62	1120	6	3
22	श्री अष्वनी कुमार	63	1440	6	3
23	श्री अशोक कुमार	139	300	6	3
24	श्री प्रभु राम शर्मा	48	300	6	3
	कुल राशि		₹26]160-00		

9 (i) रोकड़ बही को नियमों के अनुसार तैयार न करने बारे :-

रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया कि इसे हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 2 . 2 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं बनाया गया। नियम HPFR 2.2(iii) के अनुसार रोकड़ बही को प्रतिदिन लेन–देन के पश्चात बन्द करके कार्यालय के मुखिया द्वारा रोकड़ बही के कुल योग को सत्यापित किया जाना आवष्यक है। नियम 2.2(iv) के अनुसार महीने के अन्त में कार्यालय के मुखिया को रोकड़ बही में दर्षाई गई बकाया राशि को सत्यापित किया जाना आवश्यक है जबकि अवधि अप्रैल, 2007 से फरवरी, 2008 एवं नवम्बर, 2008 से मार्च, 2009 तक कार्यालय के मुखिया के एवं रोकड़िए के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं थे जो एक गम्भीर आपत्ति है एवं इससे पता चलता है कि नगर पंचायत के मुखिया द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई

परिणाम स्वरूप रोकड़ बही में 31.3.09 को दर्शाई गई राशि का मिलान बैंकों की पास बुकों की राशि से नहीं हो रहा है।

मिलान न होने का मुख्य कारण रोकड़ बही तैयार करने प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की लापरवाही थी जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है :–

(1) समय–समय पर पासबुकों का बैंकों से अपटूडेट न करवाना।
(2) महीने के अन्त में अन कोलैक्टिड चैक की विवरणी तैयार न करना।
(3) ब्याज की राशि को रोकड़ बही में न दर्षाना।
(4) बैंक कमीषन को रोकड़ बही में न दर्षाना।
(5) समय–समय पर रोकड़ बही को उच्च अधिकारी से सत्यापित न करवाना इत्यादि।
(6) महीने के अन्त में रोकड़ बही का बैंकों से मिलान न करना।

अतः रोकड़ बही को तैयार करते समय पूरी सावधानी बरती जानी सुनिष्चित की जाए।

¼ii½ ₹8]270-00 dh jkf'k dks jkdM+ cgh esa tek u djus ckjs ¼&

विभिन्न आय से सम्बन्धित रसीद बुकों जी–8 की जांच करने पर पाया कि कुछ रसीदों जी–8 को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से रद्द दर्षाया गया है और न ही इन रसीदों को रद्द करने का कारण स्पष्ट किया गया है। अतः ₹8,270.00 की राशि को नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाए या इनको रद्द करने का कारण स्पष्ट किया जाए। रसीदों जी–8 का विवरण इस प्रकार है :–

Øe la[;k	jlhn la[;k ¼th&8½	fnukad	jkf'k
1	33 / 270	03.12.08	500.00
2	47 / 270	04.12.08	600.00
3	23 / 271	22.12.08	1,970.00
4	49 / 251	04.03.08	5,000.00
5	03 / 255	05.03.08	200.00
		dqy jkf'k	₹8]270-00

भविष्य में किसी भी रसीद (जी–8) को बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना रद्द न किया जाए एवं रद्द करने का कारण रसीद (जी–8) के पीछे लिखना सुनिष्चित किया जाए।

¼iii½ jksdM+ cgh esa ₹10-00 dh de jkf'k n'kkZus ckjs ¼&

रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया कि दिनांक 21.07.2008 को प्राप्त कुल आय का योग ₹770.00 बनता था जबकि यह रोकड़ बही की प्रविष्टि 21 व पृष्ठ संख्या 114 में ₹760.00 दर्षाया गया परिणाम स्वरूप ₹10.00 की राशि रोकड़ बही में कम दर्षाई गई। अतः इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए या इसका समायोजन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 rg cktkjh ls ikIr vk; esa ik, x, mrkj p<ko ¼**Fluctuation**½ dks e/;utj j[krs gq, bldk lgh fujh{k.k djus ckjs ¼&

तह बजारी की जाँच करने पर पाया गया कि तह बाजारी रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टियों को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा न तो सत्यापित किया गया तथा न ही प्रविष्टियों के आगे रोकड़ बही की प्रति प्रविष्टि (Cross entry) दी गई है अतः तह बाजारी की प्रत्येक प्रविष्टि को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिष्चित किया जाए एवं रोकड़ बही मे जमा राशि की प्रविष्टि को दिनांक सहित तह बाजारी रजिस्टर में भी दिखाया जाए।

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि तह बाजारी से प्राप्त दैनिक आय मे दिन–प्रतिदिन भारी अन्तर आ रहा था जैसे कि निम्न तालिका में दिखाया गया है कि मार्च, 2008 में न्यूनतम 13 एवं अधिकतम 52 रेड़ियों बाजार में लगी एवं इसी प्रकार दिसम्बर, 2008 में न्यूनतम 26 एवं अधिकतम 93 रेडियो व फड़ीयां बाजार में लगी। लेकिन नगर पंचायत के किसी भी अधिकारी ने विभिन्न तिथियों में आए भारी उतार–चढाव के कारणों पर समीक्षा नहीं की अर्थात तह बाजारी का कम सिर्फ एक (Tool guard) के भरोसे पर छोड़कर उसके उपर कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया।

कार्यवाही रजिस्टर संख्या 606/2008, दिनांक 26.11.2008 में कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि तह बाजारी का पंजीकरण करके कार्ड जारी किए जायेंगे लेकिन इसके उपर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः तह बाजारी के लिए कोई ठोस कदम उठाए जायें ताकि तहबाजारी से प्रतिदिन एक निष्चित आय नगर पंचायत को प्राप्त हो सके।

माह मार्च, 2008 व दिसम्बर, 2008 में तह बाजारी से प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका में इस प्रकार है :–

ekg] ekpZ 2008	jsM+h&QM+h okyks dh la[;k	ekg] fnlEcj 2008	jsM+h&QM+h okyks dh la[;k
01.03.2008	44	01.12.2008	59
02.03.2008	15	02.12.2008	61

03.03.2008	47	03.12.2008	67
04.03.2008	50	04.12.2008	68
05.03.2008	50	05.12.2008	75
06.03.2008	45	06.12.2008	78
07.03.2008	46	07.12.2008	26
08.03.2008	49	08.12.2008	76
09.03.2008	14	09.12.2008	71
10.03.2008	47	10.12.2008	78
11.03.2008	52	11.12.2008	90
12.03.2008	49	12.12.2008	91
13.03.2008	43	13.12.2008	90
14.03.2008	50	14.12.2008	45
15.03.2008	46	15.12.2008	93
16.03.2008	17	16.12.2008	88
17.03.2008	50	17.12.2008	90
18.03.2008	47	18.12.2008	89
19.03.2008	42	19.12.2008	85
20.03.2008	43	20.12.2008	79
21.03.2008	36	21.12.2008	40
22.03.2008		22.12.2008	92
23.03.2008	17	23.12.2008	89
24.03.2008	47	24.12.2008	89
25.03.2008	47	25.12.2008	90
26.03.2008	46	26.12.2008	93
27.03.2008	45	27.12.2008	44
28.03.2008	45	28.12.2008	36
29.03.2008	40	29.12.2008	92

30.03.2008	13	30.12.2008	82
31.03.2008	45	31.12.2008	81
U;wure¾13	vf/kdre¾52	U;wure¾26	vf/kdre¾93

11 dkj ikfdZx jftLVj o Ok/k xg jftLVj dk fdlh l{ke vf/kdkjh }kjk lR;kfir u djuk ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया कि कार पार्किंग रजिस्टर एवं वध गृह रजिस्टर को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा न तो अधिकृत किया गया और न ही हर दिन की आय को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया जबकि समय–समय पर इसकी जाँच किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा की जानी आवष्यक थी ताकि कार पार्किंग एवं वध गृह से एक निष्चित आय नगर पंचायत को प्राप्त हो सके एवं आर्थिक स्थिति सुदृड़ हो सके।

12 cSd }kjk ₹350-00 dh jkf'k dh dyh;fjax pktZ ds :i esa dVkSrh djuk ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित अनुदान की राशियों के ड्राफ्ट के बदले में ₹350.00 की राशि बैंक ने कम जमा की गई जबकि बैंकों द्वारा इतनी अधिक राशि जमा करने पर कलीयरिंग चार्जिज़ की छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार की कटौती की छूट की सुविधा समबन्धित बैंक से प्राप्त करके तदानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

Ø0 l0	fnukd	fuf/k iznku djus okyh ,tsUlh	okLrfod jkf'k	tek jkf'k
1	03.03.2009	निदेषक, शहरी विकास	1,00,000.00	99,900.00
2	13.03.2009	जिलाधीष, कांगड़ा	1,00,000.00	99,900.00
3	26.03.2009	जिलाधीष, कांगड़ा	2,00,000.00	1,99,850.00

13 Hkqxrku dh ikofr;ka izkIr u djuk ckjs %&

निम्न भुगतानों के विरूद्ध वास्तविक पावती रसीदें प्राप्त नहीं की गई जिसके अभाव में इन भुगतानों की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित वास्तविक पावती रसीदें अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

Ø0 l0	fcy l[;k	okÅpj l[;k	ftudk Hkqxrku fd;k x;k	jkf'k
1	A170017984 दिनांक 03.03.09	10 माह, 11/07	पंजाब केसरी	2,520.00
2	परोर्फोमा बिल दिनांक 24.02.09	16 माह, 3/09	हि0प्र0 सिविल सपलाई कारपोरेषन	76,047.00
3	—	34 माह, 3/09	प्रधान, मेला कमेटी लिदवड़	15,000.00

14 ¼i½ okgu l[;k ,p0ih0&40&7770 dh j[kj[kko esa 778 yhVj Mhty dh vf/kd [kir ½&

नगर पंचायत के वाहन संख्या एच0पी0–40–7770 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया कि दिनांक 30.8.2007 के पष्चात न तो कभी खपत विवरणिका तैयार की गई तथा न ही लॉग बुक को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया। जिसके अभाव में गाड़ी की सही औसत का पता लगाना सम्भव नहीं था। दिनांक 30.8.2007 के पष्चात गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी एवं डीजल की खपत का ब्यौरा इस प्रकार था :–

दिनांक 01.09.2007 को डीजल की मात्रा	86 लीटर
दिनांक 01.09.2007 से 31.03.2009 तक तेल की खरीदी मात्रा	7466 लीटर
कुल मात्रा	7552 लीटर
दिनांक 01.09.2007 को गाड़ी की मीटर रीडिंग	70802 कि0मी0
दिनांक 31.03.2009 को गाड़ी की मीटर रीडिंग	96879 कि0मी0
(1) दिनांक 01.09.2007 से 31.03.2009 तक डीजल की खपत	7552 लीटर
(2) दिनांक 01.09.2007 से 31.03.2009 तक चलाई गई गाड़ी	26077 कि0मी0
गाडी की कुल औसत	3.45 कि0मी0 प्रति लीटर

इस प्रकार गाड़ी की औसत को 3.85 कि0मी0 प्रतिलीटर जो कि जाँच ऐजन्सी द्वारा बताई गई थी, को मानकर यह पाया गया कि 778 लीटर डीजल की अधिक खपत दर्षाई गई। अतः 778 लीटर डीजल की राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाई जाए।

(ii) माह के अन्त में गाड़ी की खपत विवरणिका व औसत निकालना सुनिष्चित करके सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/03 मे पैरा 25 में गाड़ी संख्या एच0पी0–40–7770 की औसत वर्ष 2001–02 मे 1.68 कि0मी0 प्रतिलीटर व वर्ष 2002–2003 में 2.63 कि0मी0 प्रति लीटर दर्षाई गई थी। इसके पष्चात दिनांक 21.09.2004 को गाड़ी की औसत जाँच ऐजैन्सी द्वारा 3.85 कि0मी0 प्रति लीटर दर्षाया है अतः वर्ष 2001–2002 में 532 लीटर व वर्ष 2002–2003 में 205 लीटर डीजल की अधिक खपत पाई गई। अतः 737 लीटर डीजल की कीमत सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके नगर पंचायत के खाते जमा करवाई जाए।

(iv) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत नगरोटा बगवां का कूड़ा करकट नगर परिषद कांगड़ा के कूड़ा करकट संयन्त्र में फैंका जाता है। इस बारे दिनांक 30.9.2004 को नगर पंचायत नगरोटा बगवां व नगर परिषद कांगड़ा के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अर्न्तगत नगर पंचायत नगरोटा बगवां को प्रथम वर्ष ₹5000 प्रतिमाह एवं अगले वर्षों के लिए ₹6000 प्रतिमाह राशि नगर परिषद कांगड़ा को भुगतान की जानी थी। इस बारे कार्यवाही संख्या 560 दिनांक 29.08.08 के अनुसार प्रस्ताव डालकर समझौते के निरस्त करके कूड़ा करकट नगर परिषद के कूड़ा करकट संयन्त्र में निषुल्क डालने बारे निदेषक, शहरी विकास को लिखा था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए इस प्रस्ताव की कार्रवाई बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(v) okgu l[;k ,p0ih040&4770 dh de vkSlr ckjs :– नगर पंचायत के तिपाहिया वाहन की लॉग बुक की पडताल करने पर पाया गया कि इसकी खपत विवरणिका व औसत को माहवार तैयार नहीं किया गया है जिससे इस बात का पता लगाना सम्भव नहीं था कि गाडी की वास्तविक औसत कितनी थी । दिनांक 1.4.07 के पष्चात गाडी द्वारा तय की गई दूरी एवं डीजल की खपत का व्यौरा इस प्रकार था :–

1	दिनांक 2..4.07 से 31.3.09 तक तेल की कुल खपत	1232 लीटर
	दिनांक 2.4.07 को गाडी की मीटर रीडिंग	31930 कि0मी0
	दिनांक 31.3.09 को गाडी की मीटर रीडिंग	44608 कि0मी0

2	दिनांक 2.4.07 से 31.3.09 तक चलाई गई गाडी	12678 कि0मी0
	गाडी की कुल औसत	10.29 कि0मी0 प्रति लीटर

अतः गाडी की औसत को किसी प्राधिकृत जाँच एजेन्सी के सत्यापित करवाया जाए कि गाडी की औसत कम है या नहीं तथा माह के अन्त में ईधन खपत विवरणिका तैयार कर गाडी की औसत की गणना करना सुनिष्चित किया जाए ।

15 <u>bVk d fu/kkfjr eY; dh vi{kk vf/kd nj ykx djd Bdnkj dh fodkl iqjh dk ₹ 530 dk vf/kd Hkqxrku</u> ¼&

एम0ए0एस रजिस्टर की पडताल करने पर पाया गया कि श्री विकास पुरी ठेकेदार से विभिन्न तिथियों को कुल 10,600 ईटों की खरीद की गई जिनका इन्द्राज एम.ए.एस. रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 9,10 एवं 11 में किया गया जिसे बदले में ठेकेदार को ₹ 3500 रूपए प्रति 1000 ईटों के बदले में भुगतान किया गया जबकि ईटों का रेट ₹ 3450 प्रति 1000 ईट निर्धारित किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹ 530 की वसूली करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाई जाए। ईटों का विवरण इस प्रकार है :–

Ø0 l0	bVk dh ek=k	eki iqfLrdk	Bdnkj dk uke	vf/kd Hkqxrku
1	500	माप पुस्तिका 29, पृष्ठ 75	श्री विकास पुरी	25.00
2	6100	माप पुस्तिका 29, पृष्ठ 96	श्री विकास पुरी	305.00
3	4000	माप पुस्तिका 31, पृष्ठ 8	श्री विकास पुरी	200.00
	vf/kd Hkqxrku dh jkf'k			530-00

16 <u>jkf'k ₹8098 eY; l Ø; dh xbZ fuekZ.k lkexzh ¼jsr] ctjh bR;kfn½ dh dk;Z ij [kir u djuk ,oa bldh lEcfU/kr vf/kdkjh l olwyh djus ckjs</u> ¼&

एम0ए0एस रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 3 की जाँच करने पर पाया कि माह 9/2007 में विभिन्न सामग्री कार्य “M/o Path drains, drain cover etc damaged due to severage line” के लिए खरीदी गई जिसमें से निम्न बकाया सामग्री को आगे क्रय की गई सामग्री में जमा करके शेष

के रूप में नहीं दिखाया गया जिससे भवन सामग्री की खपत किए बिना ही स्टॉक से सामग्री की मात्रा कम करके निम्न सामग्री खातों में कम दिखाई गई :–

Ø0 l0	lkexh	ek=k	nj	dqy eY;
1	रेत	1.50 m^3	480 per m^3	720.00
2	बजरी	3.57 m^3	435 per m^3	1553.00
3	बजरी रेत युक्त	13.39 m^3	435 per m^3	5825.00
			dqy	₹8098-00

अतः उपरोक्त सामग्री के कुल मूल्य ₹8,098.00 सम्बन्धित अधिकारी से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

17 Bsdnkjks dks Ø; njks ls de njks ij ,oa cktkj eY; ls de nj ij LVhy miyC/k djokdj ₹68]296-00 dh de olyh djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्टील का नगर परिषद के पास कोई भण्डारण नहीं था। स्टील को स्थानीय बाजार से कार्य की जरूरत के अनुसार क्रय करके सम्बन्धित ठेकेदार को जारी कर दिया जाता था। स्टील की इष्यू दर बनाने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस बारे में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नगरोटा बगवां को अधियाचना संख्या 10, दिनांक 23.03.10 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए लिखा था लेकिन इसके उपर कोई टिप्पणी नहीं की गई। CPWD Work Mannul के पैरा 25.7 के अनुसार "Issue rate of cement, Steel or any other items in the contract should not be less than the Market rates of these commodities irrespective of the issue rate of central store".

जबकि निम्न कार्यों के लिए स्टील ज्यादा दरों से क्रय करके ठेकेदारो को कम दरों पर जारी की गई है।

(i)	कार्य का नाम	C/o Building Sanatan Dharam Sabha in Nagar Panchayat Nagrota Bagwan
	ठेकेदार का नाम	श्री चन्द्रषेखर
	Award letter no.	280–284 / एन0पी, दिनांक 30.05.07

Ø0 l0	eki	LVhy dh	Ø; eY;	fuxZeu	de olyh

	i|fLrdk	ek=k		eY;	
1	माप पुस्तिका 28, पृष्ठ 83 पहला चालू बिल	12MM: 2152 kg	30.90	28.58	4,993.00
		16MM: 1026 kg	31.55	27.65	4,001.00
		8MM: 1166 kg	32.35	28.82	4,116.00
2	माप पुस्तिका 29 पृष्ठ 36 अन्तिम बिल	8MM: 888 kg	32.35	28.82	3,135.00
		10MM: 3016 kg	31.70	28.59	9,380.00
		12MM: 3600 kg	30.90	28.58	8,352.00
		20MM: 3597 kg	31.55	26.73	17,338.00
			dqy de olwyh		₹51]315-00

इस प्रकार ₹51,315.00 की राशि को तुरन्त सम्बन्धित ठेकेदारों या अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) कार्य का नाम — C/o Sports complex at N.P Nagrota Bagwan

ठेकेदार का नाम — श्री पुरूषोतम चोधरी

Award letter no. — 278/एन0पी, दिनांक 29.05.07

Ø0l0	eki i|fLrdk	LVhy dh ek=k	Ø; eY;	fuxeu eY;	de olwyh
1	माप पुस्तिका 31, पृष्ठ 16 द्वितीय चालू बिल	16MM: 812 kg	31.55	27.66	3,159.00
		238.38	44.35	27.66	3,979.00
		12MM: 304 kg	30.90	28.58	705.00
		300 kg 39.45	43.16	28.58	4,374.00
		10MM: 300 kg 182.80	44.46	28.58	4764.00
			dqy de olwyh		₹16]981-00

इस प्रकार ₹16,981.00 की राशि को तुरन्त सम्बन्धित ठेकेदार या अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके नगर पंचायत नगरोटा बगवां के खाते में जमा करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 [kjhn ls vf/kd LVhy dk Bsdsnkj dks fuxZeu djuk ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्टील के रख–रखाव में भारी अनियमितता बरती गई जैसे कि नगर पंचायत द्वारा पैरा 17(ii) में वर्णित कार्य के लिए 12एम0एम0 की 604 कि0ग्रा0 की मात्र क्रय की गई जबकि ठेकेदार को 643.45 कि0ग्रा0 स्टील की मात्रा जारी की गई इसी प्रकार 10 एम0एम0 की 300 कि0ग्रा0 मात्रा का क्रय किया जबकि 482.80 कि0ग्रा0 मात्रा जारी की गई इस प्रकार 12 एम0एम0 की 39.45 मि0ग्रा0 एवं 10 एम0एम0 की 182.80 कि0ग्रा0 की मात्रा क्रय से अधिक जारी की दर्षाई गई जबकि नगर पंचायत के पास पूर्व बकाया स्टील भी कोई नहीं थी। अतः अंकेक्षण को इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। पैरा 17(ii) में वर्णित कार्य के लिए क्रय की गई स्टील का ब्यौरा इस प्रकार था :–

Ø0 l0	fcy l[;k	eki iqfLrdk	LVhy dh ek=k
1	बिल संख्या 7128, दिनांक 5.10.2007 मैसर्ज रितेश ट्रेडिंग कम्पनी	माप पुस्तिका 28, पृष्ठ 86–87	16MM: 812 kg 12MM: 304 kg 8MM: 312 kg
2	बिल संख्या 067091, दिनांक 05.03.08 हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्टरी कारपोरेषन	माप पुस्तिका में नहीं लिया गया।	16MM: 600 kg 10MM: 300 kg 12MM: 300 kg

19 jkf'k ₹8]787 dk Bsdsnkj Jh iq:"kksre pkS/kjh dks vf/kd Hkqxrku djuk ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्पोर्टस काम्पलैक्स के निर्माण कार्य के लिए मद दर टैण्डर (item rate tender) बुलाए गए थे जिसे कि न्यूनतम टैण्डर के आधार पर श्री पुरूषोतम चौधरी को 29.93% above of Schedule rate पर पत्र संख्या 278(एन0पी0), दिनांक 29.05.2007 द्वारा जारी कर दिया गया लेकिन सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता ने इस कार्य के पहले बिल को प्रतिषत टैण्डर (Precentage Tander) के आधार पर तैयार कर दिया परिणाम स्वरूप ₹8,787.00 की अधिक राशि का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि को सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त कार्य के पहले चालू बिल का ब्यौरा इस प्रकार है :–

Ø0 l0	Abstract	Award Rate			Paid Rates			eki ifLrd k
		Executed Qty	Rates	Amount	Qty	Rates	Amount	
1	Excavation	128.10 cum	122	15628	128.10 cum	53.90	6905	माप पुस्तिका 29, पृष्ठ 15–16
2	CC 1:4:8	13.75 cum	1800	24750	13.75 cum	1181.80	16250	
3	SR 1:6	235.04 cum	1560	3,66,662	235.04 cum	1229.80	2,89,052	
				4]07]040			3]12]207	
		Less Rebate @.025		10176	Add 29.93% Premium		93]444	
				3]96]864			4]05]651	

माप पुस्तिका संख्या 29 के पृष्ठ 15–16 में भुगतान की गई राशि	₹4]05]651-00
राशि जो कि भुगतान की जानी अपेक्षित थी।	₹3]96]864-00
अधिक भुगतान की गई राशि	₹8]787-00

20 jkf'k ₹411 dk Bdnkj Jh vdq'k /kheku dk vf/kd Hkxrku djus ckjs %&

वाऊचर संख्या 24, माह 11/2007 की जाँच करने पर पाया कि कार्य C/o path/road from श्री राम चन्द्र मैहता से श्री अष्वनी मैहता के घर तक के लिए श्री अंकुश धीमान को न्यूनतम टैण्डर जो कि 42.24% above SR 1999 था, को नैगोसिएषन के लिए बुलाया और ठेकेदार अपने रेट 30% above SR तक करने को सहमत हो गया। क्योंकि यह एक आईटम रेट टैण्डर था अतः या तो Negotiation में overall quoted rates के उपर Rebate ली जानी थी यह फिर हर एक मद पर Rebate ली जानी थी लेकिन यह काम ठेकेदार को 30% above SR पर पत्र संख्या 590, दिनांक 8.10.2007 द्वारा कार्य करने के आदेश दे दिए और बिल का भुगतान प्रतिषत टैण्डर की तरह प्रत्येक मद का एस0आर0 1999, की दर लगाकर अन्त में 30% प्रीमियम दे दिया जो कि अनुचित था। इसमें पहले 8.6% Rebate निकालकर overall premium 30% करना था तत्पष्चात बिल की अदायगी ठेकेदार द्वारा भारी दरों पर की जानी थी। अतः ठेकेदार को ₹411.00 राशि का ज्यादा भुगतान किया गया जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

Ø0 l0	Abstract	Award Rate			Paid Rates			eki ifLrdk
		Executed Qty	Rates	Amount	Qty	Rates	Amount	
1	Excavation	70.92 cum	120	8510	70.92 cum	75.92	5384	
2	P/L 1:6:12	6.72 cum	1300	8736	6.72 cum	982.10	6600	
3	Boulder filling	17.10 cum	450	7695	17.10 cum	303.10	5183	
4	Form work	84 cum	100	8400	84	63.60	5343	
5	P/L 1:2:4	22.20 cum	2350	52170	22.20	1708.40	37927	
				85511			60437	
		Less Rebate @8.6		7354			&	
		Add 30% like on SR 1999		&			18131	
				78157			78568	

भुगतान की गई राशि	₹78]568-00
भुगतान योग्य राशि	₹78]157-00
अधिक भुगतान की गई राशि	₹411-00

अतः अधिक भुगतान की गई राशि को सम्बन्धित ठेकेदार या अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 dk;Z dh enksa ds fy, vuqfpr njsa ykxw djds fofHkUu Bsdsnkjksa dks jkf'k ₹26]159 dk vf/kd Hkqxrku djus ckjs %&

नवम्बर 2007 के खर्चों के वाऊचरों की जाँच करने पर पाया कि वाऊचर संख्या 2 एवं 4 के अन्तर्गत विभिन्न ठेकेदारों से टैण्डर द्वारा गलियों की मुरम्मत की अनुमानित लागत (Estimated cost) निकालते समय इसके लिए पहली मद Excavation in foundation, Schedule Item No. 0704000 एवं दूसरी मद Boulder Filling SI.No. 1133000000 ली गई। क्योंकि यह

एक मुरम्मत का कार्य था अतः पहली मद Excavation in Earth work S.I. No. 07020000 व दूसरी मद Stone Solling S.I.No 2110010000 ली जानी चाहिए थी।

ऐसा की मुरम्मत का कार्य जो कि नगर पंचायत द्वारा विभागीय मजदूरों द्वारा करवाया जिसका ब्यौरा माप पुस्तिका संख्या 30 के पृष्ठ नं0 1, कार्य का नाम R/o Streets ward no. 3, सरस्वती गली, अवधि 01.04.2008 से 30.04.2008 तक करवाया गया और इस कार्य में पहली मद Excavation in Earth work व दूसरी मद Stone Solling को ही लिया गया। अतः स्पष्ट है कि चयनित माह में करवाए गए पांच कार्यों में ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए अधिक मूल्य की मदों को अनुमानित राशि में लिया गया और ठेकेदारों को इन कार्यों को करने के लिए Labour rate में प्रचलित बढ़त जो कि उस समय 47.05% थी में कार्य करने को दिए। अतः नगर पंचायत को इस प्रकार अनुचित लाभ प्रदान करने से ₹26,159.00 की हानि हुई जिसे सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाए। कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1	Name of Work	M/o Street Damaged due to the sewerage line, ward no. 7
	Award letter no.	465 Dated 05-09-2007
	Name of Contractor	Sh. Zori Ram

S.r. No	Vr. no	Qty	Item Taken	Item required	Paid Rate	Rate required	Excess paid	M.B.
1	2 of 11/07	58 cum	Excavation in foundation (07040000)	Excavation in Earth work (07020000)	125.65	90.95	2013	M.B.=28 page=99-100
2	2 of 11/07	26.10 cum	Boulder filling (1133000000)	Stone Soling (2110010000)	183.08	82.64	2621	
				Net Loss			**4634**	

2	Name of Work	M/o Streets ward no. 1
	Award letter no.	483 Dated 17-09-2007
	Name of Contractor	Sh. Zori Ram

S.r. No	Vr. no	Qty	Item Taken	Item required	Paid Rate	Rate required	Excess paid	M.B.
1	2 of	68.40	Excavation in	Excavation in	125.65	90.95	2373	M.B.=29

	11/07	cum	foundation	Earth work				page = 3-4
2	2 of 11/07	26.10 cum	Boulder filling	Stone Soling	183.08	82.64	2621	
				Net Loss			**4994**	

3 Name of Work — M/o Street ward no. 7

Award letter no. — 487 Dated 21-09-2007

Name of Contractor — Sh. Zori Ram

S.r. No	Vr. no	Qty	Item Taken	Item required	Paid Rate	Rate required	Excess paid	M.B.
1	2 of 11/07	35.10 cum	Excavation in foundation	Excavation in Earth work	125.65	90.95	1218	M.B.=29 page = 7-8
2	2 of 11/07	14.04 cum	Boulder filling	Stone Soling	183.08	82.64	1410	
				Net Loss			**2628**	

4 Name of Work — M/o Street ward no. 1

Award letter no. — 466 Dated 05-09-2007

Name of Contractor — Sh. Sudesh Kumar

S.r. No	Vr. no	Qty	Item Taken	Item required	Paid Rate	Rate required	Excess paid	M.B.
1	4 of 11/07	82.80 cum	Excavation in foundation	Excavation in Earth work	125.65	90.95	2873	M.B.=29 page = 1-2
2	4 of 11/07	31.05 cum	Boulder filling	Stone Soling	183.08	82.64	3119	
				Net Loss			**5992**	

5 Name of Work — M/o Street ward no. 6

Award letter no. — 486 Dated 21-09-2007

Name of Contractor — Sh. Sudesh Kumar

S.r. No	Vr. no	Qty	Item Taken	Item required	Paid Rate	Rate required	Excess paid	M.B.
1	4 of 11/07	101.75 cum	Excavation in foundation	Excavation in Earth work	125.65	90.95	3531	M.B.=29 page = 5-6

2	4 of 11/07	43.605 cum	Boulder filling	Stone Soling	183.08	82.64	4380
				Net Loss			**7911**

कुल हानि 4634+4994+2628+5992+7911=26,159.00

कार्य के लिए जो मदें लगना अपेक्षित थी उनकी दरें निम्नलिखित तरीके से निकाली गई :–

1 **Excavation in Earth work :-**

Schedule Rate Pick work	39.9	
Schedule Rate Jumper work	83-8	
Average	$\frac{39.90+83.8}{2}$	=61.85
Add labour enhancement@ 47.05%		=29.10
₹90.95 per cum		**=90.95**

2 **Stone Soling :-**

Schedule Rate	56.20
Add labour enhancement@ 47.05%	26.44
	₹86.64 per cum

इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित पांच कार्यों के कार्य बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि में से धरोहर राशि की कटौती नहीं की गई है जो कि सी0पी0डब्लयू0डी वर्क मैनूअल (Menual) के पैरा 20.1 की अवहेलना है। अतः इसका कारण स्पष्ट किया जाए कि जब ठेकेदारों के बिलों से धरोहर राशि की कटौती की जानी अपेक्षित थी, तो क्यों इन ठेकेदारों को इसका अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

22 jkf'k ₹6]537-25 ds ewY; dh 165-50 fd0xk0 ok;j dh olwyh lEcfU/kr Bsdnkjksa ls u djus ckjs %&

माप पुस्तिका संख्या 28, 29 एवं 31 की जाँच करने पर पाया कि 165.50 कि0ग्रा0 वायर नगर पंचायत द्वारा विभिन्न नव निर्मित भवनों के निर्माण के लिए विभिन्न ठेकेदारों को उपलब्ध करवाई गई लेकिन इसकी वसूली जो कि ₹6,537.25 बनती थी नहीं की गई। कार्यकारी अधिकारी

नगर परिषद नगरोटा बगवां को स्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10, दिनांक 23.03.2010 के द्वारा अनुरोध किया था लेकिन इसके उपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	dk;Z dk uke	Bsdsnkj dk uke	eki iqfLrdk	tkjh dh xbZ ek=k	nj	dqy jkf'k
1	C/o Building Sanatan Dharam Sabha	श्री चन्द्र शेखर (पहला चालू बिल)	एम0बी0–28 पृष्ठ–83	55 कि0ग्रा0	39.50 प्रति कि0ग्रा0	2,172.50
2	-do-	अन्तिम बिल	एम0बी0–29 पृष्ठ–36	90.50 कि0ग्रा0	39.50 प्रति कि0ग्रा0	3,574.75
3	C/o Sports complex	श्री पुरूषोतम चौधरी	एम0बी0–31 पृष्ठ–16	20 कि0ग्रा0	39.50 प्रति कि0ग्रा0	790.00
			dqy	165-50 fd0xzk0	39-50 izfr fd0xzk0	6]537-25

अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित ठेकेदारों से अथवा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूल करके तुरन्त नगर पंचायत के खाते में जमा करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 vko';d dk;Zokgh ,oa vkSipkfjdrkvksa dks iwjk fd, fcuk ₹1]09]235-00 dh jkf'k dk Hkqxrku djuk ckjs %&

वाऊचर संख्या 7, माह 11/07 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹1,09,235.00 की राशि का भुगतान प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला नगरोटा बगवां को कमरों के निर्माण हेतु/चैक संख्या 501254, दिनांक 01.11.2007 को दूसरी किस्त के रूप में किया गया। यह राशि जिलाधीश कांगड़ा द्वारा एस0एस0ए0 के अन्तर्गत नगर पंचायत के माध्यम से स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए इसलिए दिए गए थे ताकि इसका विधिवत प्राक्कलन, प्रारूप एवं अन्य ज़रूरी दस्तावेज तैयार करके कनिष्ठ अभियन्ता की देखरेख में कमरों का निर्माण किया जाए लेकिन नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा डाक विभाग की तरह स्कूल के प्राचार्य को राशि का भुगतान करके बदले में बिलों की छाया प्रतियां ली गई व खर्चा दर्षाया गया जबकि इसका उचित

प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका में रिकॉर्ड व विधिवत टैण्डर बुलाए जाने चाहिए थे जो कि कोई भी औपचारिकता पूरी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया। इस प्रकार औपचारिक्ताओं को पूरा किए बिना स्कूल के कमरों के निर्माण पर हुआ खर्चा न्याय संगत नहीं है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त कार्य को पूरा करने में अपेक्षित कार्रवाई क्यों नहीं की गई एवं उपरोक्त कार्य पर खर्च की गई कुल राशि, खर्चों से सम्बन्धित वाऊचर व जिलाधीश कांगड़ा से प्राप्त की गई कुल राशि इत्यादि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 Bdnkjk dk ₹2]34]273-00 dk vufpr ykHk inku dju ckj %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि दो निर्माण कार्यों क्रमशः (1) C/o Purposed hall at Sanatan Dharam Sabha in Nagar Panchayat Nagrota Bagwan (2) C/o Purposed Sports complex के निर्माण हेतु निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए दिनांक 19.01.2007 को टैण्डर नोटिस संख्या 34–39(एन0पी0) जारी किया गया एवं समाचार पत्रों में भी प्रकाषित किया गया। कार्यों को करने के लिए चार–चार निविदाएं प्राप्त हुई लेकिन पूरी प्रक्रिया करने के पष्चात निविदाओं को बिना किसी कारण के रद्द करके इसके 15 दिन के पष्चात् दौबारा दिनांक 03.02.2007 को टैण्डर नोटिस संख्या 109–14 द्वारा निविदाएं आमन्त्रित की गई जिस कारण से नगर पंचायत को ₹2,34,273.00 का अतिरिक्त बौझ पड़ा जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

(i) Purposed hall at Sanatan Dharam Sabha के निर्माण कार्य के लिए पहली निविदाओं में से श्री विकास पुरी की न्यूनतम निविदा पाई गई जो कि 13.81% below HPSR 1999 थी एवं स्टील के लिए लेबर रेट भरे गए थे, जिन चार ठेकेदारों ने निविदाएं भरी थी उनका विवरण निम्न है :–

(1) श्री पुरूषोतम चौधरी

(2) श्री सुरेश चन्द

(3) श्री विकास पुरी

(4) श्री चन्द्र शेखर

लेकिन इन टैण्डरों को रद्द करके दौबारा टैण्डर नोटिस द्वारा निविदाएं आमन्त्रित की गई लेकिन दूसरी बार भी उन्हीं चार ठेकेदारों द्वारा निविदाएं भरी गई जिन्होंने पहले निविदाएं भरी थी लेकिन इस बार इन ठेकेदारों ने रेट पहले से बहुत अधिक भरे थे और श्री चन्द्रषेखर को कार्य 51.

35% below SR 1999 पर अवॉर्ड पत्र संख्या 280–84/एन0पी, दिनांक 30.5.2007 द्वारा करने के लिए जारी कर दिया गया।

नगर पंचायत के इस प्रकरण द्वारा इसी कार्य में ₹1,55,204.00 की हानि हुई अर्थात ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	Abstract	Award + Paid Rate			Rates of Rejected Tender		Net loss (in Rs)	
		Qty	Rates	Total	Rates	Total		
1	Excavation (in Cum)	83.97	119	9992	69.5	5836	4156	I[st] R/Bill MB-28 81-84
2	C:C 1:6:12 (in cum)	8.58	1300	11154	799.50	6860	4294	
3	Form work (in cum)							
	(a)	124.88	95	11864	59.50	7430	4434	2[nd] final bill-mb 29 page 35-36
	(b)	96.60	150	14490	59.50	5748	8742	
	(c)	230.89	180	41560	64.50	14892	26668	
	(d)	387.17	150	58076	64.50	24972	33104	
4	c:c 1:2:4 (in cum)							
	(a)	19.63	2550	50057	1799.50	35324	14733	
	(b)	69.73	2550	177812	1799.50	125479	52333	
	(c)	8.98	2550	22899	1799.50	16159	6740	
				d|y gkfu			₹1]55]204-00	

उपरोक्त कार्य में कुल हानि की गणना करते समय स्टील की मद को छोड दिया क्योंकि रद्द टैण्डर में स्टील के लिए लेबर रेट मंगवाए थे तत्पष्चात अवॉर्ड किए गए टैण्डर में Through रेट मंगवाए गए थे।

(ii) C/o sports complex at N.P Nagrota Bagwan के निर्माण के लिए पहले कुल चार निविदाएं प्राप्त हुई जिनमें से श्री विकास पुरी की न्यूनतम निविदा पाई गई जो कि HPSR 1999 से 7.25% below एवं स्टील के लिए लेबर रेट भरे गए थे। जिन चार ठेकेदारों ने निविदाएं भरी थी उनका विवरण निम्न है :–

(1) श्री पुरूषोतम चौधरी

(2) श्री सुरेश चन्द

(3) श्री विकास पुरी

(4) श्री चन्द्र शेखर

लेकिन इन टैण्डरों को रद्द करके दौबारा टैण्डर नोटिस द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई। दूसरी बार भी उन्हीं ठेकेदारों ने ही निविदाएं भरी जिन्होंने पहले निविदाएं भरी थी लेकिन इस बार इन ठेकेदारों ने रेट पहले से अत्याधिक भरे थे और श्री पुरूषोतम चौधरी को कार्य 29.93% below HPSR 1999 पर पत्र संख्या 278/एन0पी0, दिनांक 30.5.2007 द्वारा करने के लिए आदेश जारी कर दिए।

नगर पंचायत के इस प्रकारण द्वारा इसी कार्य को करने के लिए ₹75,017.00 का नुकसान हुआ व ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Ø0 I:0	Abstract	Award + Paid Rate			Rates of Rejected Tender		Net loss (in Rs)	M.B
		Qty	**Rates**	**Total**	**Rates**	**Total**		
1	Excavation (in Cum)	128.10	122	15628	60	7686		Ist R/Bill MB-29 Page-15-16
2	C:C 1:4:8 (in cum)	13.75	1800	24750	1100	15125		
3	SR 1:6	23504	1560	3,66,662	1410	3,31,406		
	G.Total			4,07,040		3,54,217		
	Less Rebate @.025			10176		–		
	Net			3]96]864		3]54]217	42]647	
4	SR 1:6 (in cum)	17.79	1560	27752	1410	25084		
5	form work (in Sq. Mtr)							
	(b)	49.89	160	7982	65	3243		2nd R/bill MB=31 page=15-16
	(c)	63.50	170	10795	65	4128		
6	Brick work (in cum)	5.29	2400	12696	1900	10051		
7	C:C 1:2:4	16.20	2900	46980	1770	28674		
			Total	106205		71180		
		Less Rebate @ .025		2655		–		
				103550		71180	32370	

d|y gkfu	₹7501 7

(iii) उपरोक्त कार्यों के निर्माण को पूरा करने के लिए दो बार समाचार पत्रों में प्रकाषन देना पड़ा। इस प्रकार दूसरी बार अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा जो कि सही नहीं है क्योंकि पहले टैण्डर को रद्द करना नगर पंचायत के लिए घाटे का सौदा रहा। इस प्रकार दूसरी बार किए गए अतिरिक्त खर्चे को दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं प्रकाषन पर किए गए अतिरिक्त खर्चे का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	fcy l[;k	lekpkj i=	eY;
1	बिल नं0 7090, दिनांक 07.02.2007	अमर उजाला	2,012.00
2	बिल नं0 07020020, दिनांक 07.02.2007	दैनिक जागरण	2,040.00
		d|y	₹4]052-00

पहले टैण्डर को रद्द करके दौबार टैण्डर नोटिस देकर कार्य को अवॉर्ड करने से नगर पंचायत को हुई कुल हानि :–

(i)	C/o Purposed hall at sanatan Dharam Sabha	= 1,55,204.00
(ii)	C/o Purposed Sports Complex	= 75,017.00
(iii)	प्रकाषन पर अतिरिक्त खर्च	= 4,052.00
	कुल हानि	= 2,34,273.00

ऐसा प्रतीत होता है कि पहली बार टैण्डर ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के लिए ही रद्द किए गए थे क्योंकि दूसरी बार भी उन्हीं ठेकेदारों नें निविदाएं भरी थी जिन्होंने पहली बार निविदाएं भरी थी। इस बारे में कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत नगरोटा बगवां को अधियाचना संख्या 10, दिनांक 23.03.2010 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए लिखा था लेकिन इसके उपर कोई टिप्पणी नहीं की गई। अतः उपरोक्त राशि ₹2,34,273.00 का दायित्व निर्धारित करके तदानुसार वसूली करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त इन कार्यों के लिए विभागीय दर औचित्य नहीं बनाये गए जिनके अभाव में यह सुनिष्चित करना सम्भव नहीं होता है कि ठेकेदार द्वारा भरे गए रेट जस्टीफाईड रेटों से

ज्यादा तो नहीं है ताकि उन रेटों पर नैगोसिएषन की जा सकती। इसके लिए भी अधियाचना संख्या 10, दिनांक 23.03.10 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उतर नहीं दिया गया। अतः इन कार्यों को करने में बरती गई कोताही के लिए उचित कार्यवाही अमल मे लाई जाए।

25 ₹2]09]264-00 Lohd`r jkf'k ls vf/kd [kpZ djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कार्य C/o Building of Sanatan Dharam Sabha Nagrota Bagwan के लिए कुल राशि ₹8,00,000.00 स्वीकृत करके जिलाधीष, कांगड़ा द्वारा विभिन्न तिथियों को नगर पंचायत के पास जमा करवाई गई जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट ''छ'' में दिया गया है। लेकिन इस कार्य के लिए कुल ₹10,09,264 की राशि खर्च की गई जो कि स्वीकृत राशि से ₹2,09,264.00 अधिक थी। इस अधिक खर्च राशि को लेने के लिए नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा जिलाधीष कार्यालय से कोई भी पत्राचार नहीं किया गया। अतः अब ₹2,09,264.00 की राशि शीघ्र जिलाधीष कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण को इससे अवगत करवाया जाए व भविष्य में स्वीकृत राशि में ही खर्चा करना सुनिष्चित किया जाए।

26 fgekpy izns'k fctyh cksMZ ls uxj ikfydk vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 66¼1½¼viii½ ds vuqlkj uxj iapk;r {ks= esa fctyh ds izfr ;wfuV ds cnys ,d iSlk izfr ;wfuV dh jkf'k izkIr u djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत को बिजली बोर्ड से एक पैसा प्रति यूनिट जो कि नगर पंचायत के क्षेत्र में लोगों द्वारा उपभोग की जाती थी, कई वर्षों से प्राप्त करना शेष था जिसके कारण प्रतिवर्ष नगर पंचायत को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा था एवं बिजली बोर्ड द्वारा जारी किए गए स्ट्रीट लाईटस के बिल जो कि दिनांक 31.03.09 तक बिल संख्या 2159483 द्वारा ₹20,49,111.00 देना शेष है। अतः शीघ्र बिजली बोर्ड से इस बकाया राशि को वसूल बिजली के बिल का भुगतान करना सुनिष्चित किया जाए। कार्यवाही रजिस्टर की प्रस्ताव संख्या 487, दिनांक 12.5.08 द्वारा निर्णय लिया गया था कि विद्युत विभाग से नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली के उपयोग के जो एक पैसा यूनिट पिछले कई वर्षों लगभग 8–9 वर्षों से बकाया है की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना अगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

27 lkexzh dk Hk.Mkj jftLVj esa bUnzkt u djus ckjs %&

मार्च, 2009 के खर्चों के वाऊचरों की जाँच पड़ताल करने पर पाया कि ₹17,800.00 की निम्नलिखित सामग्री का क्रय किया गया लेकिन इसका इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया। अतः बिना भण्डार रजिस्टर में लिए भुगतान करना न्यायोचित नहीं है। अतः अनुपालना करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ekl	okÅpj l[;k	fcy l[;k	jkf'k	lkbu
मार्च, 2009	25	बिल संख्या 624, दिनांक 22.12.08 मैसर्ज सरस्वती आर्टस	17,800.00	(1) 6 लोहे, के साईंस बोर्ड आकार 55” x 42” साथ में 9′ सी0पी0 पाईप आकार 1½′′ (2) 1 incumbancy बोर्ड आकार 6^{1} x $2½^{1}$

28 jkf'k ₹52]900-00 eY; dh 1200 fdyk xke LVhy dk Hk.Mkj jftLVj ,o eki iqfLrdk e nTk u djus ckjs %&

वाऊचर संख्या 19, माह मार्च, 2008 द्वारा मैसर्ज ऐग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेषन को बिल संख्या 067091, दिनांक 05.03.08 द्वारा ₹52,900.00 की राशि का भुगतान किया गया। क्रय की गई सामग्री का पूर्ण ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

बिल संख्या 067091, दिनांक 05.03.08

स्टील :	16MM, 600 kg@ 42.65 =	25,590.00
	10MM, 300 kg@ 42.75 =	12,825.00
	12MM, 300 kg@ 41.50 =	12,450.00
		50,865.00
	VAT@ 4%	2,035.00
	Total	**52,900.00**

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि उक्त सामग्री निर्माण कार्य के लिए क्रय की गई थी जिसे न तो भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया गया और न ही माप–पुस्तिका में इसका इन्द्राज किया गया। केवल रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या 10 में इसका भुगतान किया दर्शाया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा को यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त सामग्री का माप पुस्तिका (एम0बी0) एवं भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज किए बिना भुगतान कैसे किया गया। अतः भुगतान पूर्णतया अनियमित प्रतीत होता है क्योंकि क्रय की गई स्टील की मात्रा को प्राप्त किए बिना नगर पंचायत के खाते से भुगतान करना एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका पूर्ण दायित्व निर्धारित किया जाए तथा सम्बन्धित से गलत भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

29 LVªhV ykbZVl ds j[k&j[kko ij 0;; fd, x, ₹1]23]194-00 ds lkeku dh iqf"V djokus ckjs %&

स्ट्रीट लाईट रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिससे यह पता चल सके कि नगर पंचायत के पास संख्या में कितनी स्ट्रीट लाईटस थी एवं न ही स्ट्रीट लाईटस की कोई पहचान दी गई है अर्थात प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस को अलग से नम्बर नहीं दिया गया है। अतः स्ट्रीट लाईटस के रख–रखाव पर भारी खर्चा मनमाने तरीके से किया जा रहा था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007–2008 एवं वर्ष 2008–2009 में ₹73,074.00 की राशि की टयूब रोड्स (1923 टयूब रोड्स @38 प्रति टयूब), ₹42,900.00 की टयूब चौक (390 टयूब चौक @110 प्रति चौक) एवं ₹7,220.00 के बल्ब (722 बल्ब @10 प्रति बल्ब) बदले गए अर्थात ₹1,23,194.00 की राशि केवल टयूब रोड्स, टयूब चौक एवं बल्ब पर ही खर्च की गई है जो कि न्यायसंगत नही है। अतः स्ट्रीट लाईटस के रखरखाव पर हाने वाले खर्च को न्यायसंगत बनाने के लिए सबसे पहले प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस के लिए अलग–अलग नम्बर दिए जाएं एंव प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस के रख रखाव पर खर्चें का ब्यौरा एक अलग रजिस्टर में अलग अलग रखा जाए ताकि इस बात का पता चल सके कि किसी भी निर्धारित अवधि में किसी एक स्ट्रीट लाईटस के रख रखाव पर कितनी सामग्री कितनी बार बदली गई एवं प्रत्येक स्ट्रीट लाईटस के रख रखाव पर पूरा नियन्त्रण रखा जा सके। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट लाईटस के रख रखाव के लिए खरीदी गई सामग्री को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। अतः स्ट्रीट लाईटस रजिस्टर में दर्ज क्रय एवं निर्गमित के पश्चात शेष सामग्री की मात्रा को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

¼ii½ iqjkus lkfM;e oSij ySEi ¼,l0oh0,y0½ dh uhykeh djus ckjs %&

स्ट्रीट लाईटस के रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 18.11.2008 को 48 CFL Fixture with 2x36 wtt Tubes की खरीद मैसर्ज नीरज ट्रेडर्ज नगरोटा बगवां से बिल संख्या 1536, दिनांक 18.11.2008 को ₹1,03,200.00 द्वारा की गई जिसका इन्द्राज स्ट्रीट लाईटस रजिस्टर ई0एस0 के पृष्ठ संख्या 2 में किया गया। कनिष्ठ अभियन्ता श्री बलबीर सिंह चड्डा ने अंकेक्षण को मौखिक तौर पर बताया कि इससे पहले इन 48 स्थानों पर सोडियम वैपर लैम्पस एंव टयूब लाईटस लगी थी लेकिन अंकेक्षण के दौरान बताए गए रजिस्टरों में यह सोडियम वैपर लैम्पस (एस0वी0एल0) कहीं भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाए गए थे। इसके पश्चात जब सोडियम वैपर लैम्पस (एस0वी0एल0) के स्थान पर CFL fixure लगाए गए तो भी पुराने सोडियम वैपर लैम्प (SVL) को स्टॉक में नहीं लिया गया। जिन्हें अंकेक्षण के दौरान स्ट्रीट लाईटस

रजिस्टर ई0एस0 के पृष्ठ 51 में प्रविष्टि करवाई ताकि इनका दुरूपयोग न हो सके। अतः इन पुराने सोडियम वैपर लैम्पस (एस0वी0एल) व टयूब लाईटस की नीलामी करवाकर अंकेक्षण को इससे अवगत करवाया जाए।

¼iii½ LVkd jftLVj e LVhV ykbVl dh lkexh dh de ek=k dk n'kku ckj %&

स्ट्रीट लाईटस के अस्थाई भण्डार रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न सामग्री की मात्रा वास्तविक मात्रा से कम दर्शाई गई। अतः भण्डार की भौतिक जाँच करवाकर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

Ø0 l0	jftLVj	frfFk	i`"B	en	lkexh dh cdk;k ek=k pkfg, Fkh	cdk;k crkbZ ek=k	de crkbZ xbZ ek=k
1	स्ट्रीट लाईटस ई–3	21.05.08	14	टयूब स्टाटर	110	107	3
2	स्ट्रीट लाईटस ई–3	13.03.09	20	टयूब स्टाटर	172	171	1

30 ₹5]37]477-00 eY; dh LVhy dk Hk.Mkj jftLVj e bUnzkt u dju ckj %&

माप पुस्तिका 28, एवं 29 एवं रोकड़ बही की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2007–2008 एवं 2008–2009 में नगर पंचायत द्वारा ₹5,37,477.00 की विभिन्न आकार की स्टील मैसर्ज रितेश ट्रेडिंग कम्पनी नगरोटा बगवां से विभिन्न कार्यों के लिए खरीदी लेकिन इसका इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया व सीधे कार्यों को जारी कर दिया जो कि नियमों के विपरीत है अर्थात पहले स्टील को भण्डार रजिस्टर में लिया जाना अपेक्षित था तत्पश्चात ही कार्य को जारी किया जाना था। खरीदी गई स्टील का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	fcy l[;k	jkdM+ cgh ifof"V	eki iqfLrdk	lkexh dh ek=k	eY;
1	बिल सं0 6640 दिनांक 20.6.07	प्रविष्टि 21, पृष्ठ सं0 369, दिनांक 21.06.07	एम0बी0 28, पृष्ठ–27–28	12mm=1439 kg 16mm=1026 kg 8mm= 962 kg wire = 30 kg	1,09,330.00
2	बिल सं0 7129,	प्रविष्टि 6, पृष्ठ	एम0बी0–28,	12mm=1036 kg	76,102.00

	दिनांक 5.10.07	सं0 71, दिनांक 06.10.07	पृष्ठ—85—87	8mm= 516 kg 16mm= 812 kg wire = 45 kg	
3	बिल सं0 7248, दिनांक 30.10.07	प्रविष्टि—1, पृष्ठ सं0 95, दिनांक 01.11.07	माप पुस्तिका 29, पृष्ठ 9— 10	12mm= 2369 kg 10mm =1672 kg 8mm = 472 kg 20mm =2110 kg wire = 50 kg	2,10,018.00
4	बिल सं0 7369, दिनांक 22.11.07	प्रविष्टि—17, पृष्ठ सं0 129, दिनांक 17.12.07	माप पुस्तिका 29, पृष्ठ 27	12mm= 1212 kg 10mm =1344 kg 20mm =1487 kg 8mm = 416 kg wire = 40.5 kg	1,42,027.00
					₹5]37]477-00

अतः स्टील की खपत एंव बकाया स्टील की मात्रा से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में स्टील के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

31 10 cSx lheasV ds fy, [kir lkexh ,o etnjh dh nks"kh vf/kdkjh ls olwyh djus ckjs %&

सीमेंट के भण्डार रजिस्टर की जाँच करने पर पाया कि फरवरी, 2008 को नगर पंचायत के पास कुल 112 बैग सीमेंट उपलब्ध थे जो कि पृष्ठ संख्या 25 में दिखाये गए थे। इसके पश्चात मार्च, 2008 में वार्ड नं0 4 में स्टेडियम के कार्य के लिए 70 बैग सीमेंट के जारी किए तत्पश्चात मार्च, 2008 को 52 बैग सीमेंट के बकाया दर्शाये गए जबकि वास्तव में यह 42 बैग सीमेंट के थे। इसके पश्चात मार्च 2008 में ही वार्ड नं0 5,3,2 एवं 6 में चल रहे रिपेयर कार्य के लिए 52 बैग सीमेंट के जारी किए जबकि नगर पंचायत के पास उस समय कुल 42 बैग सीमेंट के ही उपलब्ध थे इससे प्रतीत होता है कि 10 बैग सीमेंट का कार्य फर्जी दिखाया गया। अतः 10 बैग सीमेंट के लिए खपत सामग्री एवं मजदूरी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ दिनांक 17.03.08 के पश्चात जो सीमेंट जारी किया गया है उसकी प्रति प्रविष्टि (Cross entry) नहीं दी गई अर्थात सीमेंट निर्गमन की प्रविष्टि के आगे माप पुस्तिका का उल्लेख एवं माप पुस्तिका में सीमेंट भण्डार रजिस्टर का उल्लेख नहीं किया गया जिसके कारण निर्गमित सीमेंट की

मात्रा की सत्यता की जाँच करना असम्भव था अतः आवश्यक कार्यवाही करके अंकेक्षण को इससे अवगत करवाया जाए।

32 /kjkgj jkf'k dk jftLVj u cukus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया कि धरोहर राशि का रजिस्टर अधूरा था अर्थात इस रजिस्टर मे वर्ष 2007–2008 एवं 2008–2009 के दोरान किए गए किसी भी कार्य की धरोहर राशि का इन्द्राज नहीं किया था जिसके अभाव में धरोहर राशि के दौबारा भुगतान किए जाने की आशंका सदैव बनी रहती है।

CPWD work manual’s para 21.7 के अनुसार “The Claim for refund of security deposit is governed by the limitation act and the period of limitation is 3 years commencing from the date tha right to due accrves”. अतः ऐसी धरोहर राशियों का पता लगाना मुश्किल है जिनकों ठेकेदार द्वारा 3 वर्ष के अन्दर वापस लेने का दावा नहीं किया है एंव ऐसा भी हो सकता है कि धरोहर राशि की वापसी इस अवधि के पश्चात की गई हो। इसकी पुष्टि के लिए पिछले कुछ कार्य बिलों की धरोहर राशि की वास्तविक स्थिति अर्थात धरोहर राशि को वापस किया गया है या नहीं की पुष्टि रोकड़िया (Cashier) व कनिष्ठ अभियन्ता नहीं कर पाए। अतः इसकी पुष्टि करके बताया जाए कि निम्न कार्यों की धरोहर राशि को कब वापस किया गया।

Ø0 l0	dk;Z dk uke	Bsdsnkj dk uke	vkoaVu i= l0	eki iqfLrdk	/kjkgj jkf'k
1	C/o Rehan Basera	श्री सुदेश चन्द	1369, दिनांक 24.05.2004	माप पुस्तिका 22, पृष्ठ–23	6,912.00
2	C/o purposed Drains	श्री विकास पुरी	687, दिनांक 27.09.06	माप पुस्तिका 25, पृष्ठ–55	6,855.00

अतः भविष्य में प्रत्येक कार्य बिल की धरोहर राशि को धरोहर राशि के रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

33 **Suit** jftLVj rS;kj u djus ckjs %&

निम्नलिखित राशियां वकीलों को नगर पंचायत की ओर से मुकदमों की पैरवी हेतु शुल्क के रूप में भुगतान की गई लेकिन मुकद्दमे का कोई सूट रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में किस मुकद्दमें पर कितनी राशि भुगतान की गई तथा मुकद्दमों की क्या स्थिति थी, की पुष्टि नहीं हो सकी। इस बारे में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 3/07 में भी परामर्श दिया

गया था कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 240 के अन्तर्गत आपेक्षित रजिस्टर तैयार किया जाए लेकिन इसके उपर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

ekl	odhy dk uke	jkf'k	eqdnes dk fooj.k
5/2007 वाऊचर सं0 15	श्री अवतार सिंह राणा	3,500.00	मोती राम Vs नगर पंचायत नगरोटा एवं ईश्वर दास Vs प्रधान, नगर पंचायत
2/2008 वाऊचर सं0 1	श्री आदर्श कुमार	10,000.00	राजेश Vs राज्य हिमाचल प्रदेश CWP No. 1374/06

34 LFkk;h lkexh dh ifof"V;k v0;ofLFkr rjhds ls djus ckjs %&

स्थायी भण्डार रजिस्टर की जाँच करने पर पाया कि इस रजिस्टर में नगर पंचायत की समस्त अचल सामग्री को अव्यवस्थित तरीके से एक ही पृष्ठ में दर्ज किया गया अर्थात अलग–अलग प्रकृति की सामग्री को अलग–अलग पृष्ठ में न दिखाकर एक ही पृष्ठ में दर्ज किया गया जो कि अनुचित था अर्थात जैसे Godraj table, Ceiling fan, Sofa set, Matress, Dressing table, Dinning set, Colour T.V, Cylinder, Tea set, Glass, Tipper(Truck), Heater, Almirah, revolving chair, Tyre, etc. सभी की प्रविष्टि एक ही स्थान पर पृष्ठ संख्या 1–11 में कर दी है। अतः प्रत्येक वस्तु को अलग–अलग पृष्ठ में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

¼ii½ vpy lkexh dk Hkkfrd lR;kiu u djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि अचल भण्डार रजिस्टर में दर्शाई गई सामग्री का आज तक कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि (HPFR) के नियम 15.17 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन (Pyysical verification) करना एवं विभाग के मुखिया द्वारा सामग्री की (Working Condition) का प्रमाण दर्ज किया जाना अपेक्षित था। अतः आवश्यक कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

35 egRoiw.kZ jftLVjksa dks rS;kj u djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्नलिखित रजिस्टरों को नगर पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया जिसके बिना महत्वपूर्ण सूचनाओं का पता लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव भी था एवं इन रजिस्टरों के अभाव में नगर पंचायत को भारी नुकसान होने की भी आशंका है। कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत नगरोटा बगवां को इसकी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण के

दौरान अधियाचना संख्या 13, दिनांक 27.03.10 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन इसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

1 Inventory Register
2 Property Register
3 Register of Land
4 Grant in Aid Register
5 GPF Ledger
6 Pension Fund Register
7 Gratuity Fund Register
8 House tax Assessment Register
9 Security Register for Work's Bill
10 Work Register
11 Steel Stock Register
12 Suit Register
13 Pension Register
14 Tender form Sale Register
15 Shop Agreement Register
16 Permanent Stock Register
17 Advance Register

36 uxj ipk;r d depkfj;k dh iU'ku rFkk eP;jVh d 12% rFkk 5% v'knku d fgLl d :i e Øe'k ₹1]88]403-00 ,o ₹78]504-00 dh jkf'k;k dk Q.M d [kkrk e tek u djoku ckj &

पैन्शन तथा ग्रेच्यूटी की अधिसूचना के नियम 3(3) के अनुसार नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों के अंशदान को हर महीने नियमित रूप से पैन्शन तथा ग्रेच्यूटी फण्ड के खातों में जमा करवाना अनिवार्य था परन्तु अंकेक्षण के दौरान यह पाया कि माह मार्च, 2007 से अप्रैल, 2008 तक उक्त राशियां नगर पंचायत के खाते से निकालकर इन फण्डों में जमा नहीं करवाई गई थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

vof/k	iU'ku Q.M	xP;Vh Q.M	depkfj;k dh l[;k
03 / 2007	13,259.00	5,525.00	28

04 / 2007	14,338.00	5,974.00	29
05 / 2007	13,756.00	5,732.00	28
06 / 2007	13,756.00	5,732.00	28
07 / 2007	13,756.00	5,732.00	28
08 / 2007	13,756.00	5,732.00	28
09 / 2007	13,756.00	5,732.00	28
10 / 2007	13,451.00	5,605.00	28
11 / 2007	13,451.00	5,605.00	28
12 / 2007	13,451.00	5,605.00	28
1 / 2008	13,553.00	5,647.00	28
2 / 2008	12,634.00	5,264.00	27
3 / 2008	13,020.00	5,425.00	27
4 / 2008	12,466.00	5,194.00	26
d|y	₹1]88]403-00	₹78]504-00	

अतः उक्त राशि को अविलम्ब जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ **₹32-00 jkf'k dk iU'ku Q.M o xP;Vh Q.M e de tek dju ckj** ½&

चयनित माह मार्च, 2009 के व्यय के विभिन्न वाऊचरों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों की वास्तविक राशि से कम राशि बैंक में जमा की गई। अतः इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व शेष अवधि की अपने स्तर पर जाँच करके इस प्रकार की कम जमा राशि को ठीक करवाकर अंकेक्षण को इससे अवगत करवाएं।

Ø0 l0	okÅpj l[;k	[kkrk l[;k	fuf/k	okLrfod jkf'k	tek jkf'k
1	38 of 03/09	KCCB 9997	ग्रेच्यूटी फण्ड	6729	6721
2	37 of 03/09	KCCB 9996	पैनशन फण्ड	16148	16129

37 **lkekU; Hkfo"; fuf/k [kkrk dh [kkrk cgh u cuku o uEcj vkcfVr u djus ckj**½&

नगर पंचायत के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का रख रखाव उचित नहीं था अर्थात सामान्य भविष्य निधि के लिए खाता बही एवं कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की संख्या

आबंटित नहीं की गई जिससे पता चल सके की किसी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में कितनी राशि है। सामान्य भविष्य निधि के नाम से प्रत्येक कर्मचारी के नाम कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक नगरोटा बगवां में बचत खाते खोल दिए हैं एवं उसी में मासिक अभिदान की राशि को जमा करवा दिया जता है जो कि उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994, की धारा 306(6) के अनुसार सामान्य भविष्य निधि पैन्शन फण्ड व ग्रेच्यूटी फण्ड की स्थापना व इसका रख–रखाव निदेशक, शहरी विकास द्वारा करना बताया गया हैं अतः इनके रख–रखाव के लिए निदेशक, शहरी विकास से सही मार्ग दर्शन लेकर आवश्यक खाता बहीयों को तैयार करके सामान्य भविष्य निधि का रख–रखाव उचित तरीके से रखना सुनिश्चित करें।

38 lLFkkiuk iM+rky jftLVj dk j[k&j[kko mfpr <x ls u djuk ckjs %&

संस्थापना पड़ताल रजिस्टर के अवलोकन पर पाया कि इसे उचित ढंग से नहीं बनाया गया था। वेतन के अतिरिक्त बकाया राशि वेतन व भत्ते के रूप में भुगतान की जाती है तो उन्हें संस्थापना पड़ताल रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी होता है लेकिन अंकेक्षण अवधि में दिए गए निम्नलिखित बकाया राशि को संस्थापना पड़ताल रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि करना असम्भव था कि क्या ये बकाया राशियां पूर्व में भुगतान तो नहीं कर दी गई थी।

(1) मंहगाई भत्ते की बकाया राशि अवधि 01.07.2007 से 31.10.2007 तक।
वाऊचर संख्या 20, माह 11/2007

(2) चिकित्सा भत्ते की बकाया राशि अवधि 01.08.2007 से 31.01.2008 तक।
वाऊचर संख्या 31, माह 03/2009

(3) अन्तरिम राहत की बकाया राशि अवधि 01.03.2008 से 31.03.2008 तक।
वाऊचर संख्या 32, माह 03/2009

Ø0 l0	deZpkjh dk uke	egxkbZ HkÙkk	fpfdRlk HkÙkk	vUrfje jkgr
1	श्री जगपाल सिंह	2680	300	—
2	श्री अशोक कुमार	2304	300	480
3	श्री रामेश्वर कुमार	1916	300	411
4	श्री अमन कुमार	1404	—	293

5	श्री प्रीतम चन्द	1748	300	375
6	श्री नरेश कुमार	1276	300	266
7	श्री सुभाष चन्द	1276	300	275
8	श्री राजेन्द्र कुमार	1276	300	266
9	श्रीमति कृष्णा देवी	1748	300	375
10	श्री राज कुमार	1276	300	275
11	श्री युद्धवीर सिंह	1276	300	275
12	श्रीमति इन्द्र देवी	1240	300	258
13	श्रीमति विमला देवी	1200	300	250
14	श्रीमति उषा देवी	684	300	197
15	श्री सैनी कुमार	705	300	197
16	श्री अरूण कुमार	705	300	197
17	श्री मुस्ताक	110	180	197
18	श्री अश्वनी कुमार	2702	300	—
19	श्री लाला राम	1276	300	275
20	श्री प्रीतम चन्द	1276	300	275
21	श्री हंस राज	1276	300	266
22	श्री विपन कुमार	1276	300	266
23	श्री मोहर सिंह	1488	300	311

24	श्री मनोज कुमार	1444	300	302
25	श्री देश राज	1444	300	302
26	श्री विनोद कुमार	1240	300	258
27	श्री विशन दास	1240	300	258
28	श्री पृथ्वी राज	1240	300	258
29	श्री सुदेश कुमार	1240	300	258
30	श्री धनी राम	1404	300	293
31	श्री विनोद कुमार	1200	300	250
32	श्री सुशील चन्द	1200	300	250
33	श्री नवजीवन	523	300	197
34	श्री गुरवचन सिंह	345	240	197
35	श्रीमति विजया कुमारी	539	–	197
36	श्री बलबीर सिंह	–	–	591

अतः अपेक्षित कार्यवाही करके संस्थापना पड़ताल रजिस्टर तैयार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

39 I ok ifLrdk %&

¼i½ श्री चमन लाल, सैकेटरी की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया कि इनका मूल वेतन सेवा पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 8 पर दिनांक 01.01.2007 को ₹7,440.00 था इसके पश्चात् दिनांक 1.1.08 को ₹7,880.00 दिखाया गया। इससे पहले मूल वेतन ₹7,660.00 दिखाया गया है लेकिन इस वेतन वृद्धि का उद्देश्य एवं दिनांक नही दी गई तथा इसे किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया। अतः दिनांक 01.01.2008 को दी गई दो वेतन वृद्धियों के बारे में कारण स्पष्ट किया जाए।

¼ii½ श्री बलबीर सिंह चड्डा, कनिष्ठ अभियन्ता की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 6 पर इनका मूल वेतन दिनांक 01.04.2006 को ₹7,440.00 था। इसके पश्चात दिनांक 01.04.2007 को ₹7,880.00 रुपये दिखाया गया। इससे पहले मूल वेतन ₹7,660.00 बताया गया था लेकिन इस वेतन वृद्धि का उद्देश्य एवं दिनांक नहीं दिखाई गयी। अतः दिनांक 01.04.2007 को दी गई दो वेतन वृद्धियों के बारे में कारण स्पष्ट किया जाए।

40 fnukd 15-5-2003 d i'pkr fu;Dr g, depkfj;k dh iU'ku dk mfpr iko/kku u djus ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007–2008 में कुल 8 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इन कर्मचारियों पर हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पैंशन नियम 2006 लागू किया जाना था एवं इनके मूल वेतन मंहगाई वेतन व मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदायी पैन्शन स्कीम में जाना था लेकिन इसे नगर पंचायत के पैन्शन फण्ड में ही जमा करवाया गया जो कि नियमों के विपरीत था। अतः इन कर्मचारियों की पैन्शन के लिए वेतन के 10 प्रतिशत उपदान को पैन्शन फण्ड से निकालकर अलग से प्रावधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं। नियुक्त कर्मचारियेां का विवरण निम्न प्रकार है :–

Ø0 l0	depkfj;k dk uke	in	fu;fDr dh frfFk
1	श्रीमति विजया कुमारी	लाईब्रेरी अटैंडैण्ट	23.08.2007
2	श्रीमति उषा देवी	सफाई कर्मचारी	05.09.2007
3	श्री अरूण कुमार	सफाई कर्मचारी	01.08.2007
4	श्री नवजीवन कुमार	बेलदार	25.08.2007
5	श्री मुस्ताक	सफाई कर्मचारी	17.10.2007
6	श्री गुरूवचन सिंह	बेलदार	17.09.2007
7	श्री अश्वनी कुमार	बेलदार	15.12.2008
8	श्री सैनी कुमार	सफाई कर्मचारी	01.08.2007

41 <u>y/kq vkifr fooj.kh</u> %&

बसूलियों के मामलों को मौके पर निपटाया गया तथा लधु आपत्तियों को मौके पर ही निपटाया गया। अतः इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

42 <u>fu"d"kZ</u> %&

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों का निपटारा करने के लिए काफी प्रयास किया गया लेकिन क्योंकि अभी तक लम्बित पैरों की संख्या बहुत अधिक है तथा इस मामले में और प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। अतः ऐसे मामले जिनमें वसूलियां करना अपेक्षित है, को गम्भीरता से लेते हुए बांछित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जाए ताकि समय रहते सभी वसूलियों को वसूल किया जा सके।

¼**ii**½ नगर पंचायत द्वारा अधिकांश रिकॉर्ड नियमानुसार तैयार नहीं किए गए अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि अभिलेख तैयार करते समय सभी निर्धारित रजिस्टरों/प्रपत्रों का ही प्रयोग किया जाए।

¼**iii**½ रोकड़ बही के अन्तशेषों का मिलान बैंक में जमा राशियों के साथ गत कई वर्षों से नहीं किया गया जो कि एक अति गम्भीर वित्तीय आपत्ति है जो कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी समय–समय पर आपत्ति दर्ज की गई लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अतः इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करके इस कार्यालय को सूचित करें।

¼**iv**½ अंकेक्षण के दौरान पाया कि भण्डार रजिस्टरों का सम्बन्धित कर्मचारी ठीक ढंग से रख–रखाव नहीं रख रहे हैं अर्थात न तो रजिस्टर में दर्ज सामग्री का नाम पृष्ठ के उपर दिया जाता है ओर न ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं व इसके साथ–साथ प्रति प्रविष्टि (Cross entry) नहीं दी जाती है जिससे सामग्री का प्रयोग कहाँ पर किया गया पता लगाना सम्भव होता है। अतः सामग्री को जारी करते समय या अगले पृष्ठ पर हस्तान्तरित करते समय प्रति प्रविष्टि जरूर दी जाए।

¼**v**½ महत्वपूर्ण रजिस्टरों को नगर पंचायत द्वारा बनाया ही नहीं गया। जिसका ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–35 में दिया गया है अतः इनको बनाया जाना सुनिश्चित करें।

¼**vi**½ लेखों के रख–रखाव में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)v-53/75 दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि प्रेषित :–

(i) सचिव, नगर पंचायत नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

(ii) निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(iii) वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश शिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

¼vuIi dekj½